नगर परिषद पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन ।

अवधि 01.04.16 से 31.03.18

भाग – एक

1 **(क) प्रारंम्भिक**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप नगरपालिका अधिनियम 1994 की धारा 255(1) में संशोधन होनें व प्रधान सचिव (वित्त) हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या 1-376/81-फिन(एल°ए°)खण्ड –IV,दिनांक 16.10.2008 द्धारा नगर परिषदों तथा नगर पंचायतों के लेखाओं के अंकेक्षण का दायित्व, निदेशक स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग को सौपें जाने के द्दष्टिगत नगर परिषद पांवटा साहिब , जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य किया गया।

वर्तमान अंकेक्षण अवधि 01.0.4.2016 से 31.03.18 तक के दौरान नगर परिषद पांवटा साहिब , जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के प्रधान तथा कार्यकारी अधिकारी निम्नानुसार थे:-

(1) प्रधान

क्र. सं.	विवरण	अवधि
1	Smt. Krishana Dhiman	01.04.16 से 31.3.18 तक

(2) कार्यकारीअधिकारी

1	Sh. H.S Rana(SDM)	01.04.16 से 26.01.2018 तक
2	Sh.L.R.Verma(SDM)	27.01.2018 से 31.3.18 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार

नगर परिषद पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश के अवधि **01.04.16 से 31.03.18** तक के अंकेक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम सं0	गम्भीर अनियमितताओं का संबन्धित सार	पैरा संख्या	(₹) राशि लाखों में
1	अनुदानों की राशि उपयोग हेतु शेष ।	6(ख)	1515.84
2	अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित न करना।	6(ग)	883.69

3	दो वर्षों से अधिक अवधि तक अनुदान का उपयोग न करना	6(घ)	50.60
4	लीज धारको से बकाया राशि वसूली हेतु शेष	7 (ख)	46.45
5	मोबाइल टावर शुल्क वसूली हेतु शेष	7 (च) (i)	2.65
6	भवन निर्माण नक्शा पारित करने हेतु देय शुल्क की कम वसूली करना	7 (छ)	2.87
7	प्राप्त आय से सम्बन्धित अभिलेख/दस्तावेज अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना	7 (ड)	39.16
8	स्थापना पर निर्धारित मापदंडो के प्रतिकूल अधिक व्यय करना	8.1	262.82
9	नगरपालिका निधि से पेंशन एवम् उपदान निधि को अनियमित हस्तांतरण/अधिक भुगतान	9 (ख)	22.69
10	लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों को दिये गए विज्ञापनों के भुगतानों से 15% कमीशन की कटौती न करने के कारण सरकारी राजस्व हानि	14 (ख)	0.94
11	बिना आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण किए संविदाकारों को अनियमित भुगतान	15 (क)	16.71
12	गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को अधिक भुगतान	15 (ख)	0.81
13	निर्माण कार्य भुगतान बिल से Rebate की कटौती किए बिना संविदाकार को अधिक भुगतान	15 (घ) (1)	0.54
14	क्रय निर्माण सामग्री से नियमानुसार वाइड्स (voids) की कटौती न करने के कारण संविदाकारों को अधिक भुगतान करना	15 (ट)	2.28
15	निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर आबंटन पत्र की शर्तानुसार ठेकेदारों से दंड शुल्क (penality) की वसूली न करना	15 (ड)	6.56
16	सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य हेतु ठेकेदारों को अनाधिकृत भुगतान	15 (ढ)	25.86

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर की गई कार्यवाही का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क"** पर दर्शाई गई हैं । प्राय: यह देखने में आया हैं कि गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर नगर परिषद द्वारा कोई भी कार्यवाही नहीं की जा रही हैं

जोकि अत्यंत चिंताजनक हैं। अत: नगर परिषद द्वारा इन लम्बित पैरों के निपटारे हेतु विशेष अभियान/कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चत की जाए ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके और कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

2 **वर्तमान अंकेक्षण** :-

अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक के लेखाओं का वर्तमान अंकेक्षण, जिसके परिणाम अनुवर्ती पैरों में समाविष्ट हैं, श्री अनिल शर्मा, सहायक नियंत्रक(ले°प°) तथा श्री राकेश चौहान अनुभाग अधिकारी द्वारा अवधि 19.09.2018 से 05.12.2018 तक के दौरान नगर परिषद पांवटा साहिब स्थित कार्यालय में किया गया। आय की विस्तृत जाँच के लिए मास **03/2017,02/2018** एवं व्यय के लिए मास **05/2016,10/2017** का चयन किया गया।

"वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद पांवटा साहिब द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर तैयार किया गया है। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हि°प्र°,नगर परिषद द्वारा दी गई गलत सूचनाओं अथवा सूचना उपलब्ध न करवाने के कारण अंकेक्षण प्रतिवेदन पर पड़ने वाले किसी भी प्रभाव के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।"

3 **अंकेक्षण शुल्क** :-

अवधि 01.04.16 से 31.03.18 के लेखाओं के अंकेक्षण का शुल्क ₹84000.00 आँका गया। कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद को वर्णित अंकेक्षण शुल्क की राशि रेखांकित बैंक ड्राफ्ट द्वारा निदेशक, स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला -171009 के नाम प्रेषित करने हेतु सहायक नियन्त्रक की अंकेक्षण अधियाचना संख्या 48/2018 दिनांक 05.12.2018 द्वारा अनुरोध किया गया।

4 **वित्तीय स्थिति** :-

नगर परिषद पांवटा साहिब , जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश की अवधि 04/2016 से 03/2018 के लेखो पर आधारित वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से हैं, जिसका विस्तृत विवरण इस अंकेक्षण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट "क-1"**पर भी दिया गया हैं।

YEAR	OPENING BALANCE	RECEIPT DURING THE YEAR	Interest Received (Saving +FDR interest)	TOTAL	TOTAL PAYMENTS	CLOSING BALANCE
2015-16	29762558.33	24009547.86	0	53772106.19	20020782	33751324.19
2016-17	33751324.19	18510665.50	7219105.69	59481095.38	32194765.00	27286330.38
2017-18	27286330.38	23233229.75	8145545.18	58665105.31	37552018.75	21113086.56

FINANCIAL POSITION IN R/O OF Grant in Aid Municipal Council,Poanta Sahib Distt. Sirmour (H.P.)					
YEAR	**OPENING BALANCE**	**RECEIPT DURING THE YEAR**	**TOTAL**	**TOTAL PAYMENTS**	**CLOSING BALANCE**
2015-16	93729995	44882585	138612580	59988627	78623953
2016-17	78623953	59383845	138007798	33940255	104067543
2017-18	104067543	101945864	206013407	54428810	151584597
Total as per General Cash Book as on 31.03.2018 (21113086.56+151584597)					**172697683.56**
Total as per Bank Accounts as on 31.03.2018 (Detail Given Below) & amount invested in FDRs					**172740530.56**
Difference between Cash Book and Bank Accounts as on 31.03.2018					**-42847.00**
Reasons of Difference					
Cheque issued but not presented for payment up to 31.03.2018					
Cheque No. 057836 Dt. 19.03.2018 (presented on Dt.05.04.2018)				26592.00	
Cheque No.057837 Dt. 19.03.2018				5255.00	
Cheque No. 123187 Dt. 26.03.2018 (presented on Dt. 11.04.2018)				11000.00	
Total				**`₹42847**	**₹42847**
Detail of Bank Accounts As on 31.03.2018					
HP State Co-operative Bank Ltd. A/c No. 56210100519					29773494.30
HP State Co-operative Bank Ltd. A/c No. 5510103644					510369.00
PNB Paonta Sahib A/C No. 4008000100004698					12420318.98
UBI Paonta Sahib A/C No. 3523020100006926					15215085.10
IDBI Bank Paonta Sahib A/C No. 1177104000004022					13725181.00
ICICI Bank Paonta Sahib A/C No. 140701000146					5367685.00
Canara Bank Paonta Sahib A/C No. 420010100970					17745250.00
Axis Bank Paonta Sahib A/C No. 916010054908362					9532466.00
HDFC Bank Paonta Sahib A/C No. 50100136505364					239468.00
YES Bank Paonta Sahib A/C No. 035394600000530					5008219.18
Total					**109537536.56**
Amount invested in FDRs as on 31.03.2018 (परिशिष्ट "ख")					**63202994.00**
				Total	**172740530.56**

5 सावधि निवेश

नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट-"ख"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2018 को ₹6,32,02,994 सावधि जमा योजना में निवेशित थे । अतः सावधि जमा को निर्धारित समय पर भुनाने या पुनः निवेश किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

6 अनुदान

कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद द्वारा यथा **परिशिष्ट "ग" पर** अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार अनुदानों से प्राप्तियों व व्यय का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित टिप्पणियाँ अपेक्षित है :-

(क) अनुदानों के उपयोग से संबन्धित उपयोगिता प्रमाण पत्र अंकेक्षण हेतु उपलब्ध न करवाना

परिशिष्ट "ग" में वर्णित विवरणानुसार विभिन्न स्रोत से प्राप्त अनुदानों के जारी उपयोगिता प्रमाण पत्र परिषद द्वारा अंकेक्षण हेतु उपलब्ध नहीं करवाए गए, जिन्हे आगामी अंकेक्षण के दौरान जाँच हेतु उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए ।

(ख) अनुदान की राशि ₹1515.84 लाख उपयोग हेतु शेष

अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष में नगर परिषद अनुदान से उपलब्ध कुल धनराशी में से औसतन केवल 25.50% राशि ही व्यय कर पाई थी तथा दिनांक 31.03.18 को ₹**1515.84** लाख की अनुदान राशि बैंकों में अनुपयोग शेष जमा थी।

वित्तीय वर्ष	अनुदान का आरम्भिक शेष (₹)	वित्तीय वर्ष में प्राप्त कुल अनुदान (₹)	वित्तीय वर्ष में अनुदान से उपलब्ध कुल धन राशि (₹)	वित्तीय वर्ष में अनुदान से उपलब्ध कुल धनराशी में से व्यय (₹)	वित्तीय वर्ष के अन्त में अनुदान से शेष राशि (₹)	वित्तीय वर्ष में अनुदान से व्यय की प्रतिशतता (₹)
2016-17	78623953	59383845	138007798	33940255	104067543	24.59%
2017-18	104067543	101945864	206013407	54428810	151584597	26.42%

उक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं हेतु उपलब्धअनुदान राशी का 100% उपयोग न करने के कारण ₹**151584597** की सरकारी निधि अवरुद्ध हुई जिसके परिणामस्वरूप क्षेत्र की जनता को सरकार की विकासात्मक योजनाओं से प्राप्त होने वाले लाभों से भी वंचित होना पड़ रहा है। अतः यह प्रकरण निदेशक/सचिव, स्थानीय शहरी निकाय, हि०प्र० के ध्यान में अनुदानों की धनराशी का समयानुसार 100% उपयोग सुनिश्चित करवाए जाने हेतु लाया जाता है ताकि सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सम्बन्धित जनता को समय से प्राप्त हो सके ।

(ग) सम्बन्धित संस्थाओं को ₹883.69 लाख के अनुदान उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रेषित न करना

नगर परिषद द्वारा अंकेक्षण को **परिशिष्ट "ग"** द्वारा उपलब्ध करवाई गई अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक के दौरान अनुदान से व्यय की ₹**88369065** के उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं को प्रेषित ही नहीं किए थे जिसके अभाव में अनुदान से व्यय की गई राशियों की अंकेक्षण में सत्यापना सम्भव न हो सकी । अतः

इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए वर्णित उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित संस्थाओं/कार्यालयों को अग्रेषित किए जाने के अतिरिक्त जारी उपयोगिता प्रमाण पत्रों को सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए ।

(घ) दो वर्षों से अधिक अवधि तक ₹50.60 लाख अनुदान का उपयोग न करना

अंकेक्षण अवधि के दौरान प्राप्त अनुदानों की विवरणी के अवलोकन पर पाया गया कि निम्न विवरण अनुसार दो वर्षों से अधिक अवधि तक अनुदान ₹5060125 उपयोग हेतु शेष थी:-

क्रमांक	अनुदान लेखा शीर्ष	आरम्भिक शेष 01.04.16 (₹)	व्यय 01.04.16 से 31.03.18 तक (₹)	अंतिम शेष 31.03.18 (₹)
1	Solid Waste Management	3813965	Nil	3813965
2	GIA on A/C RGURF	1232510	Nil	1232510
3	S.C.S.T.Grant	13650	Nil	13650
कुल जोड़		**5060125**	Nil	**5060125**

अनुदानों से सम्बन्धित स्वीकृत पत्रों में आमतौर पर अनुदानों को उपयोग करने की अवधि एक से दो वर्ष तक निर्धारित होती है जबकि उपरोक्त वर्णित अनुदान राशियाँ तो पिछले कई वर्षों से अर्थात दिनांक 01.04.16 से पूर्व से अनुपयोग शेष हैं तथा इस प्रकार जहाँ परिषद द्वारा योजनाओं हेतु उपलब्ध अनुदान राशी का 100% उपयोग न करके निधि का अनावश्यक अवरोधन हुआ है बही लाभार्थी जनता को प्राप्त होने वाले लाभों से भी वंचित होना पड़ा है । अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट करते हुए या तो उक्त अनुदान राशियों को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से निर्धारित उद्देश्यों हेतु समयानुसार उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाये अन्यथा राशि का प्रत्यार्पण सम्बन्धित विभाग किया जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

अंकेक्षण पैरा 6(क) से 6(घ) तक के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 30/2018 दिनांक 21.11.2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: M.C.P./Accounts/2018-19 – 1297 दिनांक 26.11.2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

7 आय

(क) स्वीकृत बजट में निर्धारित लक्ष्य की तुलना में अपने संसाधनों से आय (Income from own Sources) ₹30.18 लाख की कम प्राप्ति

अपने संसाधनों से प्राप्त आय (Income from own Sources) की जाँच में पाया गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान स्वीकृत बजट प्रावधान की तुलना में निम्न विवरणानुसार वास्तविक आय कम प्राप्त की गई थी जो कि एक गंभीर चिन्ता का विषय है । अत: स्वीकृत बजट अनुसार निर्धारित लक्ष्य की तुलना में अपने संसाधनों से आय (Income from own Sources) कम प्राप्त करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी से नियमित करवाया जाए तथा भविष्य में बजट प्रावधानों के अनुसार ही आय लक्ष्य प्राप्त करने का प्रयास सुनिश्चित किया जाए ।

वर्ष	अपने संसाधनों से प्राप्त आय (Income from own Sources) हेतु स्वीकृत बजट प्रावधान/लक्ष्य	अपने संसाधनों से प्राप्त वास्तविक आय (Income from own Sources)	बजट प्रावधान की तुलना में अपने संसाधनों से प्राप्त कम आय (Income from own Sources)
2016-17	21529000.00	18510665.50	3018334.50

(ख) लीज धारको से ₹46.45 लाख की बकाया लीज़ राशि वसूली हेतु शेष

नगर परिषद द्वारा विभिन्न व्यक्तियों को नगर परिषद की जमीन लीज पर दी गई थी लीज धारको से संबन्धित अभिलेखों की पड़ताल करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2018 तक परिशिष्ट-घ में वर्णित लीज़ धारकों से ₹4645079 की बकाया राशि वसूली हेतु शेष थी। अंकेक्षण में यह भी पाया कि देय लीज राशि की वसूली हेतु नगर परिषद द्वारा नियमानुसार कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी जिसके कारण बकाया राशि प्रतिवर्ष बढती ही जा रही है जोकि एक गम्भीर चिन्ता का विषय है । अत: इतनी लम्बी अवधि तक लीज राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करने के साथ इस राशि की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्यवाही अमल में लाई जाए एवं कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

(ग) किराया आय

(i) दुकानों के किराये की बकाया ₹17.90 लाख वसूली हेतु शेष

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई निम्न वर्णित सूचना, के अनुसार दिनांक 31.03.2018 को दुकानों के किराये की बकाया ₹**1790222** वसूली हेतु शेष थी, जोकि गम्भीर चिंता का विषय हैं क्योकि परिषद द्वारा दुकानों के किराये की वसूली हेतु नियमानुसार ठोस कार्यवाही न करने के कारण बकाया राशि में वर्ष दर वर्ष वृद्धि हो रही हैं जैसा कि निम्न सारणी से भी स्पष्ट होता हैं। अत: नगर परिषद द्वारा इस वसूली हेतु ठोस कार्यवाही न करने बारे औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा इस संदर्भ में नियमानुसार अपेक्षित ठोस कार्यवाही तुरन्त करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए:-

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष (₹)	कुल मांग (₹)	कुल राशि (₹)	प्राप्ति (₹)	अन्तिम शेष (₹)
2016-17	1350386	3057514	4407900	2860001	1547899
2017-18	1547899	3311067	4858966	3068744	1790222

(ii) दुकानों के किराया ₹0.02 लाख की कम वसूली करना

दुकानों के किराये से प्राप्त आय के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्नतालिका में दिए गए प्रकरणों में देय किराया **₹1630/-** की कम वसूली की गई थी, जिस सन्दर्भ में पूर्ण छानबीन उपरान्त वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

नं	परिसर दुकान नं	रसीद नं-दिनांक	प्राप्त किराया राशि(₹)	देय किराया राशि (₹)	कम वसूली (₹)	विवरण
1.	{IDSMT} 7 व् 8	49/04-28.03.2017	3300	3485	185/-	माह 08/2016 से 03/2017 {165x2} ₹330 प्रतिमाह बढ़े हुए किराये की बकाया राशि पर नियमानुसार देय ब्याज की वसूली न करना
2.	Self Finance 5	49/43-30.03.2017	6178	6230	52/-	12/2016 से 02/2017 के ₹1320 प्रतिमाह किराये को 03/2017 देरी से जमा पर देय ब्याज की कम वसूली करना|
3.	Self Finance 7	50/10-31.03.2017	4102	4255	153/-	माह 03/2017 से देय ₹968 प्रतिमाह के स्थान पर ₹880 प्रतिमाह की दर से करना तथा 12/2016 से 02/2018 के किराये को देरी से जमा पर देय ब्याज की कम वसूली करना|
4.	Self Finance 6	50/14-31.03.2017	1265	1392	127/-	माह 03/2017 से देय ₹1210 प्रतिमाह के स्थान पर ₹1100 प्रतिमाह की दर से वसूली करना

5.	Self Finance 2	38/47-20.02.2018	4308	4593	285/-	माह 02/2018 से देय ₹1331 प्रतिमाह के स्थान पर किराये की वसूली माह 02/2018 व् 03/2018 में ₹1210 प्रतिमाह की दर से करना
6.	General 65	39/10-22.02.2018	22128	22956	828/-	माह 04/2017 से 11/2017 के दौरान देय ₹2178 प्रतिमाह के किराये की राशि को 02/2018 में देरी से जमा करने पर नियमानुसार देय ब्याज की राशि की कम वसूली करना|
					1630/-	

(घ) शराब शुल्क की मांग व प्राप्ति से संबन्धित अभिलेख का रख रखाव न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या:ULB-HC(9)-28/96 दिनांक 01.11.1999 के प्रावधान अनुसार नगर परिषद् की सीमा के भीतर बेचीं गई शराब की बोतलों पर एक रुपया प्रति बोतल की दर से आबकारी एवम कराधान विभाग हि. प्र. द्वारा मदिरा उपकर वसूल करके सम्बन्धित नगर परिषद् को भुगतान किया जाना अपेक्षित है। नगर परिषद् द्वारा उपलब्ध करवाई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि परिषद् को दिनांक 30.05.2017 को ₹**10,02,755/-**{रोकड़ बही पृष्ठ-55} (वित्तीय वर्ष 2015-16 से संबन्धित) तथा दिनांक 16.01.2018 को ₹**12,91,890/-** {रोकड़ बही पृष्ठ-234} की राशि आबकारी एवम कराधान विभाग हि. प्र. से मदिरा शुल्क के रूप में प्राप्त हुई थी, किन्तु इससे सम्बन्धित अभिलेख**/** विवरण जैसे प्राप्त राशि किस अवधि की थी तथा नगर परिक्षेत्र में वर्षवार विक्रय की गई मदिरा बोतलों की संख्यां कितनी थी इत्यादि अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया, जिसके अभाव में उपरोक्त प्राप्त आय की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव न हो सकी। अतः इस सन्दर्भ में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा सम्बन्धित विभाग से देय राशि की वसूली से सम्बन्धित आवश्यक अभिलेख/आंकड़े एकत्रित करके आगामी अंकेक्षण पर आवश्यक पड़ताल हेतु उपलब्ध करवाया जाने के अतिरिक्त भविष्य में शराब शुल्क का मांग व प्राप्ति रजिस्टर का पूर्ण रूप से उचित रख रखाव करना भी सुनिश्चित किया जाए।

(ड.)व्यापार कर की बकाया ₹0.26 लाख वसूली हेतु शेष

हि. प्र. सरकार की अधिसूचना सं.सी. पी./जी.बी./2001-1110 दिनांक 17.05.2001 द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में स्थापित दुकानों एवं अन्य व्यापारिक संस्थानों से प्रति वर्ष प्रति दुकान एवं प्रत्येक व्यापारिक संस्था से निम्न विवरणानुसार व्यापार कर एकत्रित किया जायेंगा।

क्र0 स0	**दुकान एवं अन्य व्यापारिक संस्था**	**दर प्रति वर्ष**

		(₹)
1	Small Scale Industries, Saw Mills, Floor Mills, Dhoop Factories, Ice Factories and other Small Industries	400
2	All Kind of general wholesale and commission merchants	200
3	All Kind of small shopkeepers (Retailers)	100

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.2018 को विभिन्न दुकानों एवं अन्य व्यापारिक संस्थानों से व्यापार कर की बकाया ₹26750.00 वसूल हेतु शेष थी जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट-ङ** में वर्णित हैं । अत: दुकानों एवं अन्य व्यापारिक संस्थानों से व्यापार कर की वसूली न किए जाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए बकाया व्यापार कर की सम्बन्धित से शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए तदानुसार कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(च) मोबाइल टावर शुल्क

(i) मोबाइल टावर शुल्क ₹2.65 लाख वसूली हेतु शेष

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र सं. DIT- Dev-IT-2005(Misc), दिनांक 22.08.2006 और निदेशक शहरी विकास, हि.प्र. के पत्र सं. यू.डी.-एच.(ए)(7)-1/2006-10396-10445-46 दिनांक 25.09.2006 द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल टावर लगाने हेतु ₹10000.00 स्थापना शुल्क आरोपित किया गया था । नगर परिषद के मोबाईल टावर रजिस्टर का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि दिनांक 31.03.2018 को विभिन्न कम्पनियों से मोबाइल टावर शुल्क ₹**265250** वसूली हेतु शेष था जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- च** में वर्णित है । अत: संबन्धित कम्पनियों से मोबाईल टावर शुल्क की वसूली न किए जाने का औचित्य स्पष्ट करते हुये वर्णित बकाया शुल्क की शीध्र वसूली सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाय जाए ।

(ii) मोबाईल टावर नवीनीकरण शुल्क ₹0.82 लाख की वसूली न करना

हिमाचल प्रदेश सरकार के पत्र सं. DIT- Dev-IT-2005(Misc), दिनांक 22.08.2006 और निदेशक शहरी विकास, हि.प्र. के पत्र सं. यू.डी.-एच.(ए)(7)-1/2006-10396-10445-46 दिनांक 25.09.2006 द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में मोबाईल टावर पर ₹5000.00 वार्षिक नवीनीकरण शुल्क आरोपित किया गया था । नगर परिषद के मोबाईल टावर नवीनीकरण रजिस्टर का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि रिलायंस जिओ कम्पनी द्वारा नगर परिषद परिक्षेत्र में 3 मोबाइल टावर की स्थापना करने हेतु दिनांक 03/02/2014 को रसीद संख्यां 594/12 के अन्तर्गत ₹30,000 {10000/- प्रति टावर} स्थापना शुल्क की राशि जमा करवाई गई थी। इसके अतिरिक्त संबन्धित रजिस्टर में नवीनीकरण

शुल्क प्राप्त किए जाने बारे कोई भी विवरण वर्णित नहीं था जबकि इस प्रकार सम्बन्धित कम्पनी से उक्त टावर्स की स्थापना की तिथि से दिनांक 31.03.2018 तक निम्नतालिकानुसार **₹82500** नवीनीकरण शुल्क की राशि की वसूली हेतु देय बनती थी । अत: संबन्धित कंपनी से ₹82500 का नवीनीकरण शुल्क वसूल न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए बकाया नवीनीकरण शुल्क की शीघ्र वसूली सुनिश्चित की जाए एवं कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

क्रमांक	**स्थापना की तिथि**	**स्थापना वार्ड नं**	**नवीनीकरण शुल्क की वर्षवार देय राशि (₹)**				**कुल देय राशि (₹)**
			2014-15	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	
1	03.02.2014	4	5000	5000	5000	12500	27500
2	---do---	10	5000	5000	5000	12500	27500
3	---do---	---	5000	5000	5000	12500	27500
			15000	**15000**	**15000**	**37500**	**82500**

(छ) भवन निर्माण नक्क्षा पारित करने हेतु देय ₹2.87 लाख के शुल्क की कम वसूली करना

भवन निर्माण नक्शा पारित करने पर प्राप्त फीस का सम्बन्धित अभिलेखों के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में ₹287159/- का शुल्क गणना में विभिन्न त्रुटियों के कारण देय राशि से कम वसूल किया गया था। जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए, अन्यथा वर्णित राशि की छानबीन उपरांत उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

Detail of less realization of map approval fees

File No.	Name of Applicant	Plot area Sqm	Total Fees Due	Fee realised	Fees Less realise	Remarks	Receipt No./Dated
7295	Malkiyat Singh	132.30	2441	986	1455	TCP, CLU Charges @ 10 sqm. And MC, CLU charges @1 sqm not realised for 132.30 Sqm	46/11 dated 17.3.17
7315	Desh Raj	1236.41	452790	167086	285704	TCP and MC CLU Charges realised only for 332.28 Sqm plot area whereas the total area of the plot as per map approved was 1236.41 Sqm and the covered area at ground floor was 404 Sqm (TCP, CLU Charges @ 315 swm @ 1 Sqm not realised for 904.13 sqm.)	47/19 dtd. 25.03.2017

	455231	**168072**	**287159**		

(ज) तहबाजारी शुल्क ₹1.24 लाख वसूली हेतु शेष

तहबाजारी शुल्क से प्राप्त आय का उपलब्ध करवाए गए संबन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2018 तक निम्न विवरण अनुसार ₹124570 की राशि तहबाज़ारी शुल्क के रूप में वसूली हेतु शेष थी। जिस का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा बकाया तहबाज़ारी शुल्क की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित करते हुए कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

Sr.No.	Year	Opening Balance (₹)	Demand during the Year(₹)	Total (₹)	Amount Received during the year(₹)	Closing Balance(₹)
1	2016-17	50750.00	684000.00	734570.00	684000.00	50750.00
2	2017-18	50750.00	888000.00	938570.00	814000.00	124570.00

(झ) गृहकर

(i) गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेख तथा 31.03.2018 को उसकी बकाया राशि के बारे सूचना उपलब्ध न करवाये जाने बारे।

गृहकर से प्राप्त आय का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद् द्वारा गृहकर से सम्बन्धित मांग एवं वसूली रजिस्टर का निर्माण नहीं किया गया था जिसकी अनुपस्थिति में गृह कर की अंकेक्षण अवधि के दौरान कुल कितनी मांग थी तथा दिनांक 31.03.2018 को कितनी राशि गृहकर दाताओं से वसूली हेतु बकाया थी । इत्यादि बारे पूर्ण जानकारी अंकेक्षण में स्पष्ट न हो सकी। अत: गृहकर से संबन्धित मांग एवं वसूली रजिस्टर का निर्माण न किए जाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित अभिलेख का तुरन्त निर्माण करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ii) अंकेक्षण को **परिशिष्ट- छ** द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार परिषद को वितीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में गृहकर की क्रमशः ₹**1104259** एवं ₹**1245482** की आय प्राप्त हुई थी, परन्तु इस सन्दर्भ में अंकेक्षण को प्रस्तुत अपूर्ण अभिलेख के कारण प्राप्त आय की सत्यापना सम्भव न हो सकी, क्योंकि न तो गृहकर आकलन का Assessment Register निर्धारित प्रपत्र पर संधारित किया गया था और न ही उक्त पंजिका में गृहकर की गणना से सम्बन्धित पूर्ण विवरण/ सूचना जैसे, सम्पति का निर्माण पूर्ण करने की तिथि, सम्पति Residetial है अथवा Commercial तथा सम्पति का कुल area, इत्यादि स्पष्ट रूप से वर्णित था। इसके अतिरिक्त उक्त पंजिका को किसी तकनीकी/सक्षम

प्राधिकारी द्वारा भी सत्यापित नहीं किया गया था जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा अब नियमानुसार वांछित अभिलेख को पूर्ण रूप से तैयार करके आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए|

(iii) गृहकर ₹0.03 लाख की कम वसूली करना

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में गृहकर **₹2852** की कम वसूली की गई थी, जिस का पूर्ण छानबीन उपरान्त या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

रसीद नं/ {दिनांक}	**{वार्ड नं}/ हाउस नं0**	**मकान मालिक का नाम**	गृहकर की वसूली योग्य राशि (₹)	गृहकर की वसूली गई राशि (₹)	**गृहकर की कम वसूली गई राशि (₹)**
37/32 {03.02.18}	{3}/206	गुमान सिंह पुत्र श्री लाली राम	17820	16276	1544
45/40 {05.03.18}	{4}/257/61	गीता राम पुत्र श्री बालिया राम	7913	6932	981
38/19 {13.02.18}	{4}/196/6/2	श्यामलाल पुत्र श्री सरवन लाल	351	337	14
46/23 {21.03.17}	{1}/201/7	विरेन्दर कुमार पुत्र श्री ओम प्रकाश	914	609	305
38/20 {13.02.18}	{4}/196/29/1	कमलजीतकौर पुत्री श्री शमशेर सिंह	206	198	8
			27204	**24352**	**2852**

(ञ) **बिजली शुल्क की वसूली न करना**:-

हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना संख्या: एल. एस. जी. –(डी)(1)-9/94, दिनांक 01.12.99 में वर्णित प्रावधानानुसार नगर परिषद क्षेत्र की परिधि में खर्च होने वाली बिजली पर प्रति यूनिट 1 पैसा की दर से हि.प्र.बिजली बोर्ड द्वारा शुल्क एकत्रित करके नगर परिषद को भुगतान वसूल किया जाना आपेक्षित है । परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि अवधि 01.04.2016 से 31.03.2018 तक बिजली शुल्क की कोई वसूली नहीं की गई थी और न ही इस सन्दर्भ में हि. प्र. बिजली बोर्ड से कोई पत्राचार किया गया था, जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है। अत: बिजली शुल्क की वसूली बारे हि.प्र. बिजली बोर्ड से प्रकरण न उठाने का औचित्य स्पष्ट करते हुए अब इस सन्दर्भ में तुरन्त अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर बिजली शुल्क की वसूली सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(ट) उद्धेजक तथा संकट पूर्ण व्यापार विनियम (जोखिमपूर्ण व्यापार) हेतु जारी लाइसैन्स फीस ₹1.24 लाख वसूली हेतु शेष

नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 125 के अनुसार नगरपालिका, क्षेत्र के भीतर यदि कोई व्यवसायी उद्धेजक तथा संकट पूर्ण व्यापार विनियम करता हैं तो नगर परिषद उस उद्धेजक तथा संकट पूर्ण व्यापार विनियम हेतु लाइसैन्स जारी करेगा, इस प्रकार के लाइसैन्स हेतु नगर परिषद, उपायुक्त द्वारा अनुमोदित की गई लाइसैन्स फीस, व्यवसायी से प्राप्त करेगी। लाइसैन्स फीस की दरे उपायुक्त सिरमौर के पत्र सं. एलएफ़. -ए (4)-5/85 दिनांक 01.01.97 द्वारा निर्धारित की गई थी। इसके अतिरिक्त यदि कोई व्यवसायी अपने लाइसैन्स का निर्धारित अवधि के भीतर नवीनीकरण नहीं करवाता है तो ऐसे प्रकरणों में ₹5 प्रति माह की दर से जुर्माना वसूला जायेगा। जोखिमपूर्ण व्यापार से संबन्धित उपलब्ध करवाए गए अभिलेख का अवलोकन करने पर पाया गया कि दिनांक 31.03.2018 के दौरान उद्धेजक तथा संकट पूर्ण व्यापार विनियम हेतु देय लाइसैन्स फीस ₹124865 वसूली हेतु शेष थी, जिसका विस्तृत विवरण **परिशिष्ट- ज** में वर्णित किया गया हैं। अत: वर्णित लाइसैन्स फीस की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसकी वसूली हेतु नियमानुसार तुरन्त ठोस कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए एवं कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

(ठ) डॉग रजिस्ट्रेशन शुल्क (Dog Registration Fee) ₹0.03 लाख वसूली हेतु शेष

नगर परिषद् द्वारा डॉग रजिस्ट्रेशन शुल्क (Dog Registration Fee) से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2018 को ₹2750 वसूली हेतु शेष थी। अतः वर्णित राशि की वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए तथा भविष्य में डॉग पंजीकरण शुल्क की नियमित रूप से वसूली करना भी सुनिश्चित किया जाए।

अंकेक्षण पैरा 7(क) से 7 (ढ) तक के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 35/2018 दिनांक 28.11.2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: M.C.P./Accounts/2018-19 – 1323 दिनांक 01.12.2018 द्वारा सूचित किया गया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

(ड) नगर परिषद द्वारा **विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय ₹39.16 लाख से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख/दस्तावेज अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करना**

चयनित माह में प्राप्त आय का अंकेक्षण करने के दौरान निम्नतालिका में वर्णित विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त आय से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख/दस्तावेज {G-8 रसीद के अतिरिक्त} अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत नहीं किये गए जिसके अभाव में प्राप्त आय का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका यद्यपि उक्त प्राप्ति G-8 रसीद के अनुसार रोकड़ बही में दर्ज की गई थी। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 22/2018 दिनांक 13.11.2018 के माध्यम से संबन्धित अभिलेख प्रस्तुत करने बारे आग्रह किया गया परंतु अंकेक्षण समाप्ति तक इस सन्दर्भ में कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ। अतः वर्णित आय से सम्बन्धित पूर्ण अभिलेख अंकेक्षण हेतु प्रस्तुत न करने बारे स्थिति स्पष्ट करते हुए इसे आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

दिनांक	**जी8 रसीद संख्या .**	**On A/C of**	**राशि (₹)**	**रोकड़ बही पृ.सं.**
		2016-17 {03/2017}		
03.03.17	42/48	Auction of jhulla	200000/-	308
---do---	42/49	Lights in Fair	96000/-	308
---do---	42/50	Change of Title	10000/-	308
---do---	43/01	---do---	10000/-	308
---do---	43/05	Parking Contract	34500/-	309
---do---	43/06	Change of Title	10000/-	309
07.03.17	43/26	Plot Division fee	40555/-	313
10.03.17	43/33	---do---	17590/-	315
10.03.17	43/35	Auction of jhulla	40000/-	315
---do---	43/36	Parking Contract	60000/-	315
---do---	43/41	Auction of jhulla	600000/-	316
16.03.17	43/47	---do---	450000/-	319
17.03.17	46/03	Dangerous trade	10000/-	320
---do---	46/09	Plot Division fee	2700/-	320
---do---	46/12	Auction of jhulla	160000/-	321
18.03.17	46/14	---do---	200000/-	322

20.03.17	46/17	---do---	120000/-	323
22.03.17	46/40	Plot Division fee	5070/-	325
25.03.17	46/50	Regularisation fee	1100/-	328
---do---	47/03	---do---	1100/-	329
---do---	47/13	---do---	1100/-	329
---do---	47/14	---do---	1100/-	329
27.03.17	47/39	Slaughter house	1800/-	330
---do---	47/47	Regularisation fee	1100/-	331
29.03.17	49/14	---do---	1100/-	333
---do---	49/28	---do---	1100/-	333
---do---	49/30	---do---	1100/-	333
---do---	49/31	---do---	1100/-	333
---do---	49/32	---do---	1100/-	333
---do---	49/34	Change of Title	5000/-	333
---do---	49/35	Regularisation fee	1100/-	333
30.03.17	49/36	---do---	1100/-	333
---do---	49/42	Transfer Fees	100000/-	335
		Security of Shop	20000/-	335
---do---	49/50	Regularisation fee	1100/-	336
		2017-18 {02/2018}		
30.01.18	36/39	Change of Title	5000/-	249
---do---	37/02	BA No.5069	13025/-	249
01.02.18	37/15	Change of Title	3000/-	251
05.02.18	37/35	---do---	3000/-	254
07.02.18	37/44	---do---	3000/-	256
08.02.18	37/49	---do---	3000/-	257
09.02.18	38/10	Security of Shop	20000/-	258
		Transfer Fees	100000/-	258
13.02.18	38/19	Compding fee	4800/-	260
---do---	38/20	---do---	4560/-	260
15.02.18	38/22	Change of Title	3000/-	260
---do---	38/23	Compding fee	4000/-	260
20.02.18	38/40	---do---	5456/-	265
---do---	38/43	Light Contract	40000/-	265
---do---	38/45	Change of Title	3000/-	265
22.02.18	39/02	Auction of jhulla	400000/-	265
---do---	39/07	Parking fees	45000/-	266
---do---	39/11	Laying Cable	221495/-	266
26.02.18	39/39	Auction of jhulla	825000/-	268
27.02.18	45/06	Change of Title	3000/-	270
	Total Receipt		**3916851/-**	

8 संस्थापना

(क) हिमाचल प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53(1) (ग) के प्रावधानों के प्रतिकूल संस्थापना पर ₹ 262.82 लाख का अधिक व्यय करना

हि.प्र. नगर पालिका अधिनियम 1994 की धारा 53(1)(ग) के अनुसार "नगर पालिका निधि से संस्थापना पर व्यय, नगर पालिका के कुल व्यय के एक तिहाई से अधिक नहीं होगा"। नगर परिषद के स्थापना व्यय की पड़ताल करने पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार वितीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹**12308522.67** एवं वितीय वर्ष 2017-18 के दौरान ₹**13973719.42** संस्थापना पर व्यय उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के प्रतिकूल अधिक किया गया था, जिसका औचित्य स्पष्ट करते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए और भविष्य में संस्थापना पर व्यय उपरोक्त वर्णित प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए:-

S.No.	Period	Total Expenditure out of Municipal Fund (₹)	Actual Expenditure on Establishment (₹)	Admissible expenditure on Establishment i.e 1/3rd of total Expenditure out of Municipal Fund (₹)	Irregular Excess Expenditure on Establishment out of Municipal Fund (₹)	% of Establishment Expenditure to the Total Expenditure out of Municipal Fund
1	04/2016 to 03/2017	32194765.00	23040111.00	10731588.33	12308522.67	71.56%
2	04/2017 to 03/2018	37552018.75	26491059.00	12517339.58	13973719.42	70.54%
	Total				**26282242.08**	

(ख) वेतन पर अनुमोदित बजट की अपेक्षा ₹12.82 लाख का अधिक व्यय बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से करना

वेतन व्यय का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान ₹**4684331** और 2017-18 के दौरान ₹**8135895** =कुल ₹**12820226** की राशि वेतन एवं भत्तों इत्यादि पर स्वीकृत बजट प्रावधान से अधिक बिना सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से व्यय की गई थी, जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की कर्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

वितीय वर्ष	वेतन हेतु अनुमोदित बजट प्रावधान (₹)	वेतन पर वास्तविक व्यय (₹)	वेतन पर अधिक व्यय (₹)
2016-17	18355780.00	23040111.00	4684331.00
2017-18	18355164.00	26491059.00	8135895.00
			12820226.00

(ग) सेवा पंजिकाओं में कर्मचारियों के अवकाश खाते अद्यतन (Update) न करना

अंकेक्षण के दौरान निम्न कर्मचारियों की सेवा पंजिकाओं का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इन कर्मचारियों के अवकाश खाते अपूर्ण थे जिन्हें नियमानुसार समय-2 पर अद्यतन **(Update)** नहीं किया गया था जिसके अभाव में इन कर्मचारियों की अर्जित अवकाश, अर्ध वेतन अवकाश व प्रदत वेतन देयता का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका । अत: सेवा पंजिकाओं में अवकाश खाते को पूर्ण न करने का औचित्य स्पष्ट करते हुए इस सन्दर्भ में तुरन्त अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण करके, कृत कार्यवाही की आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना सुनिश्चित की जाएं।

नं	कर्मचारी का नाम	पद	अवधि जिसमें छुट्टी का खाता संधारित/update नहीं किया गया है|
1.	राकेश कुमार	{कनिष्ठ सहायक}	01.01.2017 से 31.03.2018
2.	बंटी लाल	{सफाई कर्मचारी}	01.01.2017 से 31.03.2018
3.	दलजीत सिंह	{सेवादार}	01.01.2014 से 31.03.2018
4.	भरत कुमार	{सफाई कर्मचारी}	01.01.2017 से 31.03.2018
5.	संजय कुमार	{सफाई कर्मचारी}	01.07.2014 से 31.03.2018
6.	नरेश कुमार	{सफाई कर्मचारी}	01.07.2014 से 31.03.2018
7.	मदन कुमार	{सफाई कर्मचारी}	01.01.2017 से 31.03.2018
8.	माँगा राम	{सफाई कर्मचारी}	01.07.2014 से 31.03.2018
9.	राम दयाल	{सफाई कर्मचारी}	01.07.2014 से 31.03.2018
10.	अमृत सिंह	{वाहन चालक}	01.01.2016 से 31.03.2018
11.	रमेश चन्द	{वाहन चालक}	01.01.2014 से 31.03.2018
12.	बलबीर सिंह	{बेलदार}	01.07.2016 व् 01.01.2017 को अर्जित अवकाश व् अर्धवेतन अवकाश का Advance क्रेडिट प्रदान न करना|

(घ) कर्मचारियों द्वारा **व्यतीत अर्जित अवकाश का इन्द्राज अवकाश खातों में न करना**

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों द्वारा अर्जित अवकाश व्यतीत किया गया था परन्तु इसकी प्रविष्टि उनके अवकाश खाते में नहीं की गई थी जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसका औचित्य स्पष्ट किया जाए एवं वर्णित अर्जित अवकाश की सम्बन्धित कर्मचारी के अवकाश खाते में प्रविष्टि करके कृत कार्यवाही की सत्यापना आगामी अंकेक्षण के दौरान करवाई जाने के अतिरिक्त भविष्य में वर्णित अनियमितता की पुनरावृति पर रोक लगाई जानी भी सुनिश्चित की जाए :-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम	अर्जित अवकाश कि अवधि जिसकी प्रर्विष्टि सेवा पंजिका में नहीं की गई थी।	कुल योग
1	श्री मधुकर शर्मा {कनिष्ठ सहायक}	21.06.2016 से 05.07.2016 का अर्जित अवकाश	15
		30.03.17 व् 31.03.2017 का अर्जित अवकाश	2
		24.04.17 से 21.06.2017 का अर्जित अवकाश	59
2.	राजीव कुमार {लिपिक}	21.06.2016 से 30.06.2016 का अर्जित अवकाश	10
		01.05.17 से 05.05.2017 का अर्जित अवकाश	5
3.	राकेश कुमार {कनिष्ठ सहायक}	27.01.2018 से 13.02.2018 का अर्जित अवकाश	18
		17.07.2017 से 31.07.2017 का अर्जित अवकाश	15
		01.08.17 से 11.08.17 का अर्जित अवकाश	11
		21.08.17 से 01.09.2017 का अर्जित अवकाश	12
		01.12.17 से 19.12.2017 का अर्जित अवकाश	19
		27.01.2018 से 30.01.2018 का अर्जित अवकाश	4
		01.02.2018 से 13.02.2018 का अर्जित अवकाश	13
4.	हसमत अली {माली}	16.04.2016 से 19.04.2016 का अर्जित अवकाश	4
		24.10.2016 से 29.10.2016 का अर्जित अवकाश	6
		03.05.2017 से 06.05.2017 का अर्जित अवकाश	4
		08.07.2017 से 28.07.2017 परिणित अवकाश {21}	42
		02.08.2017 से 11.08.2017 का अर्जित अवकाश	10
		11.12.2017 से 16.12.2017 का अर्जित अवकाश	6

(ङ) **कर्मचारियों को ₹0.04 लाख के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान करना**

वेतन बिलों का अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि निम्न विवरणानुसार कर्मचारियों को वेतन व भत्तो के रूप में ₹3774 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसे नियमानुसार या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए :-

(i) राजीव कुमार लिपिक को HRA की ₹600 की अधिक अदायगी

श्री राजीव कुमार लिपिक को अवधि 01.02.2017 से 31.01.2018 के दौरान OM No.Fin(C)B(7)1/2012 दिनांक 28.02.2012 के अनुसार ₹10300/- के देय वेतन पर ₹**350** प्रतिमाह की दर से मकान किराया भता (HRA) देय था जबकि उन्हें ₹400 प्रतिमाह की दर से मकान किराया भते का भुगतान किया गया था । इस प्रकार उन्हे ₹50 प्रति माह की दर से `₹600 (₹50 x 12M) के मकान किराए भते (HRA) का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित किया जाए।

(ii) श्री मधुकर शर्मा कनिष्ठ सहायक को वेतन एवं भत्तों के रूप में ₹3174 का अधिक भुगतान

श्री मधुकर शर्मा कनिष्ठ सहायक को अवधि 01.01.2016 से 31.03.2016 के दौरान ₹**16130/-** मूल वेतन के आधार पर वेतन का भुगतान किया गया था, जबकि सेवा पंजिका के अनुसार उन्हें ₹**15660** का मूल वेतन देय था। इस प्रकार उन्हें 01.01.2016 से 31.03.2016 अवधि के दौरान 125% मंहगाई भत्ते के साथ ₹**3174/-{(16130-15660)=470+125%x3}** के वेतन व भत्तों का अधिक भुगतान किया गया था जिसे उचित छानबीन उपरान्त या तो नियमानुसार न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा अधिक भुगतान राशि की सम्बन्धित कर्मचारी से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

(च) बिना सक्षम प्राधिकारी की लिखित स्वीकृति एवं सेवा कार्यकाल को सत्यापित किये वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करना

सेवा पंजिकाओं के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि कर्मचारियों के सेवा कार्यकाल को नियमानुसार सत्यापित किये बिना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि से सम्बन्धित कार्यालय आदेश जारी किये बिना ही सेवा एवं वेतन व भत्तो का लाभ प्रदान किया जा रहा था जोकि सेवा नियमों के प्रतिकूल होने के कारण गम्भीर वितीय अनियमितता है जिस का औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की अपेक्षित स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। भविष्य में सेवा नियमों के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति अनुसार कार्यालय आदेश जारी करने के उपरान्त ही कर्मचारियों को देय सेवा लाभ प्रदान किये जाने के साथ-2 तदानुसार सेवा पंजिकाओं का संधारण करना भी सुनिश्चित किया जाए। उपरोक्त अनियमितता से सम्बन्धित कुछ प्रकरण निम्न वर्णित है:-

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	अंकेक्षण आपत्ति
1	श्री राजीव कुमार {लिपिक}	कार्यालय आदेश जारी किये बिना दिनांक 01.02.2017 को लिपिक के पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के उपरान्त Pay Band {5910-20200+1900} से Pay Band {10300-34800+3200} में वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करना।
2	श्री ओमप्रकाश {बेलदार}	01.04 16 से 31.03.2018 की सेवा सत्यापित करवाए बिना 01.01.17 व् 01.01.2018 को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करना।
3	श्री बारू राम {लिपिक}	कार्यालय आदेश जारी किये बिना दिनांक 01.10.2016 को लिपिक के पद पर 2 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने के उपरान्त Pay Band {5910-20200+1900} से Pay Band {10300-34800+3200} में वेतन वृद्धि का लाभ प्रदान करना।

4	श्री हसमत अली {माली}	01.04.16 से 31.03.2018 की सेवा सत्यापित करवाए बिना 01.01.17 व् 01.01.2018 को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करना।
5	श्री बलबीर सिंह {बेलदार}	01.04.16 से 31.03.2018 की सेवा सत्यापित करवाए बिना 01.09.16 व् 01.09.2017 को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करना।
6.	श्री बंटी लाल {सफाई कर्मचारी}	01.04.16 से 31.03.2018 की सेवा सत्यापित करवाए बिना 01.10.16 व् 01.10.2017 को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करना।
7.	श्री दलजीत सिंह {Peon}	01.04.16 से 31.03.2018 की सेवा सत्यापित करवाए बिना वेतन वृद्धि {AI/ACP} से सम्बन्धित लाभ प्रदान करना।
8.	श्री भरत कुमार {सफाई कर्मचारी}	01.04.17 से 31.03.2018 की सेवा सत्यापित करवाए बिना 01.10.2017 को वार्षिक वेतन वृद्धि प्रदान करना।

अंकेक्षण पैरा 8 (क) से 8 (च) तक के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 36/2018 दिनांक 28.11.2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से वर्णित अनियमितताओं का औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: M.C.P./Accounts/2018-19 – 1324 दिनांक 01.12.2018 द्वारा सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार अपेक्षित कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

9 पैंशन ग्रेच्युटी एवं अंशदायी पेंशन व सा0 भ0 निधि

(क) वितीय स्थिति :- नगर परिषद द्वारा **यथा परिशिष्ट "ज-1" पर प्रस्तुत सूचना एवं अभिलेख के आधार पर नगर परिषद के पैंशन, ग्रैचुइटी, अंशदायी पैंशन फ़ंड एवं सा०भ0 निधि की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-**

(i) Financial Position of Pension Fund						
Year	**Opening Balance (₹)**	**Receipt (₹)**		**Total (₹)**	**Payments (₹)**	**Closing Balance (₹)**
		Contribution	**Interest**			
2015-16	610515	5755436	77460	6443411	4653519	1789892
2016-17	1789892	4703005	85895	6578792	5202836	1375956
2017-18	1375956	5588684	58151	7022791	5033570	1989221
Detail of Closing Balance as on 31.03.2018						

HP State Co-op Bank	**56210114602**				**1989221.00**

(ii) Financial Position of Gratuity Fund						
Year	**Opening Balance (₹)**	**Receipt (₹)**		**Total (₹)**	**Payments (₹)**	**Closing Balance (₹)**
		Contribution	**Interest**			
2015-16	1588050	571354	50924	2210328	1340021	870307
2016-17	870307	548184	29531	1448022	994334	453688
2017-18	453688	565704	16674	1036066	714155	321911
Detail of Closing Balance as on 31.03.2018						
HP State Co-op Bank	**352302010009039**					**321911**

(iii) Financial Position of Contributed Pension Scheme						
Year	**Opening Balance (₹)**	**Receipt (₹)**		**Total (₹)**	**Payments (₹)**	**Closing Balance (₹)**
		Contribution	**Interest**			
2015-16	2178942	634117	142361	2955420	79877	2875543
2016-17	2875543	710080	95855	3681478	3618	3677860
2017-18	3677860	1154260	274567	5106687	0	5106687
Detail of Closing Balance as on 31.03.2018						
HP State Co-op Bank					**56210120081**	**1959601**
FDR No. 1910271						**992814**
FDR No. 1909071						**2154272**
Total						**5106687**

(iv) Financial Position in R/O of Provident Fund of Municipal Council, Paonta Sahib, Distt.Sirmour (H.P.)					
Year	**Opening Balance (₹)**	**Receipt (₹)**	**Total (₹)**	**Payments (₹)**	**Closing Balance (₹)**

2016-17	4976167	1612851	273511	6862529	2733061	4129468
2017-18	4129468	1977204	303561	6410233	1436102	4974131
Detail of Balances						
SB Accounts No. 56210125137						**1493466**
FDR No. 1911627						**3480665**
Total						**4974131**

(ख) नगरपालिका निधि से पेंशन निधि को स्थापना प्रभार के रूप में ₹22.69 लाख का अनियमित हस्तांतरण/अधिक भुगतान

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 व 2017-18 के कुल बजट अनुमानों का 1% नगर परिषद निधि से पेंशन निधि को स्थापना प्रभार के रूप में निम्न विवरणानुसार ₹**2269922/-** का भुगतान किया गया था जोकि नियमों के प्रतिकूल होने के कारण अनियमित है, क्योंकि Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension ,Gratuity & General Provident Fund) Rules 2000 के नियम 13(i) के अनुसार पेंशन निधि का रख-रखाव निदेशालय स्तर पर निदेशक द्वारा किया जाना प्रावधित है जिसकी एवज में परिषद के कुल बजट अनुमानों की राशी का 1% नगर परिषद निधि से स्थापना प्रभार के रूप में निदेशालय को भुगतान किया जाना अपेक्षित था न कि पेंशन निधि को। चूँकि वर्तमान में पेंशन निधि का रख-रखाव निदेशालय स्तर की अपेक्षा नगर परिषद द्वारा स्वयं अपने स्तर पर किया जा रहा है तथा जब तक यह व्यवस्था जारी रहती है तब तक नगर परिषद को निदेशालय को वर्णित स्थापना प्रभार के भुगतान का कोई भी औचित्य नहीं बनता है । अतः वर्णित अनियमितता का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसका समाधान **₹2269922** को पेंशन निधि से वापिस परिषद निधि को हस्तांतरण करके जमा करवाकर किया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए:-

वाउचर संख्या व् दिनांक	अतिरिक्त हस्तांतरण राशि (₹)	रोकड़ बही पृष्ठ संख्या	अभियुक्ति
23/12.07.2016	**1085680**	97	1% amount of MC budget for F.Y.2016-17
30/13.12.2017	**1184242**	206	1% amount of MC budget for F.Y.2017-18
जोड़	**2269922**		

(ग) अंशदाई पेंशन योजना (CPS) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का भी ग्रेच्युटी का नियोक्ता अंशदान उपदान निधि में जमा करना

(वाऊचर संख्या: 09 of 05/2016 ₹ 45682.00
वाऊचर संख्या: 10 of 10/2017 ₹ 47142.00)

H.P. Municipality Employees (Pension, Gratuity& GPF)Rules,2000 के नियम 3(3) में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका को हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्तर का 12% पेंशन तथा 5% ग्रेच्युटी का अंशदान पेंशन एवम् उपदान निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। निदेशक,शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या: UD-II(130/10)7/2000 दिनांक 20.12.2003 द्वारा जारी अनुदेशानुसार नगरपालिका द्वारा उक्त वर्णित अंशदान कुल स्वीकृत पदों, चाहे भरी हो या खाली हो, का जमा करवाया जा रहा था जिसमें अंशदाई पेंशन योजना (CPS)के अंतर्गत आने वाले कर्मचारी भी शामिल थे। चूँकि नगरपालिका द्वारा नगरपालिका निधि से अंशदाई पेंशन योजना (CPS)के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का नियोक्ता अंशदान अंशदाई पेंशन योजना (CPS) निधि में अलग से जमा करवाया जा रहा था तथा इन कर्मचारियों को पेंशन एवम् उपदान भी नियमानुसार देय नहीं है इसलिए अंशदाई पेंशन योजना (CPS)के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों का 5% ग्रेच्युटी का अंशदान उपदान निधि में जमा करवाया जाना अनियमित है जिसके कारण अंकेक्षण हेतु चयनित मास 05/2016 और 10/2017 के दौरान नगरपालिका निधि से उपदान निधि में निम्न विवरणानुसार ₹24292 का अधिक भुगतान किया गया था। अतः यह प्रकरण उच्च सक्षम प्राधिकारियों के ध्यान में नियमानुसार उचित समाधान करने हेतु लाया जाता है तथा साथ ही इस प्रकार के अन्य मासों में किए भुगतानों की छानबीन विभागीय स्तर पर करके अपेक्षित यथोचित कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की जाए एवं अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	CPS कर्मचारियों का नाम/पदनाम जिनका ग्रेच्युटी का नियोक्ता अंशदान जमा किया गया	पे बैंड + ग्रेड पे (₹)	ग्रेच्युटी के नियोक्ता अंशदान की जमा की गई राशी (₹)		कुल राशी (₹)
			माह मई, 2016 (पे बैंड का अधिकतम x 5%)	माह अक्तूबर,2017 (पे बैंड का अधिकतम x 5%)	
1	श्री बारू राम, लिपिक	5910-20200+1900 /10300-34800 +3800GP	1010	1740	**2750**
2	श्री राकेश कुमार , लिपिक	10300-34800 +3800GP	1740	1740	**3480**
3	श्री ललित गोयल, कनिष्ठ अभियंता	10300-34800+5400	Transferred from MC Nahan to	1740	**1740**

			MC Paonta Sahib on Dt. 24/04/2017		
4	श्री रमेश चंद, चालक	5910-20200 +2000GP	1010	1010	**2020**
5	श्री अमृत सिंह, चालक	5910-20200 +2000GP	1010	1010	**2020**
6	श्री दलजीत सिंह, सेवादार	4900-10680 +1300GP	534	534	**1068**
7	श्री राम कुमार, बेलदार	4900-10680 +1300GP	534	534	**1068**
8	श्री बलबीर सिंह, बेलदार	4900-10680 +1300GP	534	534	**1068**
9	श्री बंटी लाल, सफाई कर्मचारी	4900-10680 +1300GP	534	534	**1068**
10	श्री मदन कुमार, सफाई कर्मचारी	4900-10680 +1300GP	534	534	**1068**
11	श्री सुरेश कुमार, सफाई कर्मचारी	4900-10680 +1300GP	534	534	**1068**
12	श्री भरत कुमार, सफाई कर्मचारी	4900-10680 +1300GP	534	534	**1068**
13	श्री विजय, सफाई कर्मचारी	4900-10680 +1300GP	--	534	**534**
14	श्री पवन, सफाई कर्मचारी	4900-10680 +1300GP	534	534	**1068**
15	श्री नरेश कुमार , सफाई कर्मचारी	4900-10680 +1300GP	534	534	**1068**
16	श्री राजू,सफाई कर्मचारी	4900-10680 +1300GP	534	534	**1068**
17	श्री संजय कुमार, सफाई कर्मचारी	4900-10680 +1300GP	534	534	**1068**
कुल जोड़			**10644.00**	**13648.00**	**24292.00**

10 नगर परिषद द्वारा खाली पदों का भी पेंशन /ग्रेच्युटी अंशदान नगर परिषद निधि से पेंशन व् उपदान निधि में जमा करने सम्बन्धी अनियमितता (वाउचर संख्या: 8 of 05/2016=₹276642/- व् वाउचर संख्या: 09 of 10/2017=371736)

H.P. Municipality Employees (Pension, Gratuity &GPF) Rules,2000 के नियम 3(3) में वर्णित प्रावधानानुसार नगरपालिका को हर माह कर्मचारियों के वेतनमान के अधिकतम स्तर का 12% पेंशन तथा 5% ग्रेच्युटी का अंशदान पेंशन एवम् उपदान निधि में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। निदेशक, शहरी विकास विभाग के पत्र संख्या:UD-II(130/10)7/2000 दिनांक 20.12.2003 द्वारा जारी अनुदेशानुसार नगरपालिका द्वारा उक्त वर्णित अंशदान कुल स्वीकृत पदों, चाहे भरी हो या खाली हो, का जमा करवाया जा रहा था जिसमें निम्न वर्णित खाली पदों का अंशदान भी शामिल था। चूँकि नगर परिषद द्वारा भविष्य में खाली पदों के विरुद्ध नियुक्त किए जाने वाले कर्मचारी सामान्यतः अंशदाई पेंशन योजना (CPS) के अंतर्गत ही cover होंगे व् जिनका अंशदान वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की भांति अंशदाई पेंशन योजना (CPS) निधि में अलग से जमा करवाया जाएगा तथा इन कर्मचारियों को पेंशन एवम् उपदान का लाभ भी नियमानुसार देय नहीं होगा, इसलिए उक्त वर्णित नियमों के दृष्टिगत खाली पदों का 12% पेंशन तथा 5% ग्रेच्युटी का अभिदान पेंशन एवम् उपदान निधि में जमा करवाया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। इस कारण, निम्न विवरण अनुसार, व्यय/भुगतान के अंकेक्षण हेतु चयनित मासों में ही नगर परिषद निधि से पेंशन एवम् उपदान निधि में ₹**153104/-** का अधिक भुगतान किया गया है । अतः यह प्रकरण उच्च सक्षम प्राधिकारियों के ध्यान में नियमानुसार उचित समाधान करने हेतु लाया जाता है:-

क्रमांक	पदनाम	पदों की संख्या	वेतनमान (₹ में)	अवधि	12%/5% की दर से अधिक जमा की गई पेंशन/ग्रेच्युटी अंशदान की राशी(पे बैंड का अधिकतम x12%/ 5%x पदों की संख्या)			कुल अधिक जमा अंशदान राशि (₹)
					पेंशन अंशदान (₹)	ग्रेच्युटी अंशदान (₹)	कुल अभिदान (₹)	
1	Executive Officer	1	10300-34800 +4800GP	05/16	4176	1740	5916	**11832**
		1	10300-34800 +4800GP	10/17	4176	1740	5916	
2	Junior Asstt.	1	10300-34800 +3600GP	05/16	4176	1740	5916	**11832**
		1	10300-34800 +3600GP	10/17	4176	1740	5916	
3	Clerks	4	10300-34800 +1900GP	05/16	9696	4040	13736	
		4	5910-20200 +1900GP	10/17	9696	4040	13736	**27472**
4	Comm. Org.	1	5910-20200 +1900GP	05/16	2424	1010	3434	

		1	5910-20200 +1900GP	10/17	2424	1010	3434	**6868**
5	Statiscal Asstt.	1	10300-34800 +4400GP	05/16	4176	1740	5916	**11832**
		1		10/17	4176	1740	5916	
6	Chowkidar	1	4900-10680 +1300GP	05/16	1282	534	1816	**3632**
		1		10/17	1282	534	1816	
7	Peons	3	4900-10680 +1300GP	05/16	3846	1602	5448	**12712**
		4		10/17	5128	2136	7264	
8	W.S.	1	5910-20200 +1900GP	05/16	2424	1010	3434	**6868**
		1		10/17	2424	1010	3434	
10	Beldar	3	4900-10680 +1300GP	05/16	3846	1602	5448	**10896**
		3		10/17	3846	1602	5448	
11	Driver	1	10300-34800 +2000GP	05/16	4176	1740	5916	**11832**
		1	10300-34800 +2000GP	10/17	4176	1740	5916	
12	Sweeper	3	4900-10680 +1300GP	05/16	3846	1602	5448	**12712**
		4		10/17	5128	2136	7264	
13	Pipe Fitter	1	5910-20200 +1900GP	05/16	2424	1010	3434	**6868**
		1		10/17	2424	1010	3434	
14	Sr. Clerk	1	5910-20200+1900GP	05/16	4176	1740	5916	**11832**
		1		10/17	4176	1740	5916	
15	Sr. Asstt.	1	10300-34800 +4400GP	03/15	4176	1740	5916	**5916**
कुल जोड़								**153104**

11 सेवा निवृत कर्मचारियों को अर्जित अवकाश के नगदीकरण के रूप में ₹0.09 लाख का अधिक भुगतान

अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना एवं अभिलेख के अवलोकन पर पाया गया कि नगर परिषद से सफाई कर्मचारी के पद से दिनांक 30.04.2016 को सेवा निवृत हुए श्री अमरनाथ को 300 दिन के अर्जित अवकाश के नगदीकरण की गणना वास्तविक देय मूल वेतन **₹14740** की अपेक्षा **₹15160/-** के आधार पर व 125% मंहगाई भत्ते के साथ करने {रोकड़ बही पृष्ठ संख्या 220, वाउचर नं 45 दिनांक 29.11.2016, कुल ₹341100 } के कारण उन्हें **₹9450/- {(15160-14740)=420+125%x 300/30}** का अधिक भुगतान किया गया था जिस का या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए, अन्यथा वर्णित उक्त राशि की उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

12 सामान्य भविष्य निधि से सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के बिना ₹40.80 लाख की आहरण राशि का अनियमित भुगतान

सेवा निवृत कर्मचारियों को सा०भ0 निधि से किये गए अन्तिम भुगतानों का सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि निम्नलिखित कर्मचारियों को सामान्य भविष्य निधि से

अन्तिम अदायगी/आहरण की स्वीकृतियां कार्यकारी अधिकारी द्वारा प्रदान की गई थी, जोकि अनियमित है क्योंकि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अधिसूचित Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & General Provident Fund) Rule 2000 के नियम 13(i) में स्पष्ट प्रावधान है कि "The Advances, Withdrawls and Final payments from GPF shall be sanctioned by the Director". अतः अब वर्णित अनियमितता को सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्यां	वाउचर संख्यां व् दिनांक	कर्मचारी/अधिकारी का नाम	आहरण/अन्तिम भुगतान की राशि (₹)	विवरण
1	15 of 04/2016	श्री अमरनाथ सफाई कर्मचारी	306954/-	अन्तिम भुगतान
2	16 of 05/2016	श्री रामदयाल, सफाई कर्मचारी	240000/-	आहरण
3	17 of 05/2016	श्री हसमत अली, माली	50000/-	आहरण
4	18 of 05/2016	श्री राजीव कुमार, लिपिक	20000/-	आहरण
5	19 of 06/2016	श्रीमती रामप्यारी, सेवादार	677055/-	अन्तिम भुगतान
6	22 of 06/2016	श्री मधुकर शर्मा,कनिष्ठ सहायक	85000/-	आहरण
7	23 of 06/2016	श्री इस्लाम अली, माली	50000/-	आहरण
8	24 of 06/2016	श्री बनारसी दास सफाई कर्मचारी	100000/-	आहरण
9	25 of 09/2016	श्री रामदयाल, सफाई कर्मचारी	40000/-	आहरण
10	26 of 09/2016	श्री रणजीत सिंह, बेलदार	50000/-	आहरण
11	27 of 09/2016	श्री चत्तर सिंह, सेवादार	450000/-	आहरण
12	28 of 11/2016	श्री राजीव कुमार, लिपिक	35000/-	आहरण
13	29 of 01/2017	श्री ओमप्रकाश, बेलदार	500000/-	आहरण
14	30 of 02/2017	श्री हसमत अली, माली	50000/-	आहरण
15	31 of 04/2017	श्री राजीव कुमार, लिपिक	70000/-	आहरण
16	34 of 06/2017	श्री इस्लाम अली, माली	70000/-	आहरण

17	35 of 06/2017	श्री रणजीत सिंह, बेलदार	150000/-	आहरण
18	36 of 07/2017	श्री मधुकर शर्मा,कनिष्ठ सहायक	100000/-	आहरण
19	37 of 07/2017	श्री चत्तर सिंह, चपरासी	90000/-	आहरण
20	38 of 07/2017	श्री बनारसी दास सफाई कर्मचारी	200000/-	आहरण
21	39 of 08/2017	श्री रामदयाल, सफाई कर्मचारी	80000/-	आहरण
22	40 of 08/2017	श्री राजीव कुमार, लिपिक	20000/-	आहरण
23	41 of 09/2017	श्री बनारसी दास सफाई कर्मचारी	360952/-	अन्तिम भुगतान
24	42 of 01/2018	श्री इस्लाम अली, माली	85000/-	आहरण
25	43 of 02/2018	श्री ओमप्रकाश, बेलदार	200000/-	आहरण
		कुल योग	**4079961/-**	

13 सामान्य भविष्य निधि, पेंशन तथा ग्रेच्यूटी निधि के लेखो का रख- रखाव नियमानुसार न करना

हि० प्र० सरकार की अधिसूचना संख्यां:LSG-B(1)-1/79-III दिनांक 25/4/2000 द्वारा Himachal Pradesh Municipalities Employees (Pension, Gratuity & General Provident Fund) Rules 2000 अधिसूचित किए गए है। इन नियमों के नियम 3 में प्रावधान किया गया है कि नगर पालिका के कर्मचारियों को पेंशन लाभो की अदायगी के उदेश्य हेतु निदेशक द्वारा पेंशन तथा ग्रेच्युटी निधि की स्थापना करने के साथ -2 इसका रख रखाव भी किया जाएगा । इसके अतिरिक्त नियम (3) में यह प्रावधान भी किया गया है कि नगरपालिकाएं कर्मचारियों के समय वेतनमान (Time Scale) के अधिकतम पर क्रमश: 12% तथा 5% की दर से पेंशन व् ग्रेच्युटी का माहवार अंशदान उक्त पेंशन व ग्रेच्युटी निधि में जमा करवायेगी। उक्त नियमों के नियम 9 में आगे यह भी प्रावधान किया गया है कि सामान्य भविष्य निधि स्थापना तथा लेखों का रख रखाव भी निदेशक द्वारा ही किया जाएगा । नगर परिषद के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि उक्त वर्णित निधियों की स्थापना एवं लेखों का रख-रखाव निदेशक की अपेक्षा स्वयं नगर परिषद द्वारा ही किया जा रहा था, जोकि नियमों की सरासर उल्लंघना है। अतः यह प्रकरण सचिव/निदेशक, स्थानीय शहरी निकाय के ध्यान में नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही अमल में लाने हेतु लाया जाता है ।

14 व्यय

(क) अखबार आपूर्ति हेतु 3 से 5 वर्ष उपरान्त एक मुश्त ₹0.11 लाख का संशयपूर्ण भुगतान करना

(वाऊचर संख्या 16 दिनांक 04.05.2016 ₹11000)

उपरोक्त व्यय वाऊचर के अन्तर्गत ₹11000 का भुगतान मै॰ सिंह न्यूज़ ऐंजसी पौंटा साहिब को चैक संख्या 267495 दिनांक 04.05.2016 के द्वारा अवधि 04/2011 से 07/2013 तक के लिए अखबार की आपूर्ति करने हेतु किया गया था किन्तु परिषद द्वारा इस सन्दर्भ में अखबार आपूर्ति के समर्थन में कोई रजिस्टर या अन्य अभिलेख का रख-रखाव नहीं किया गया था जिससे यह ज्ञात हो सके कि वास्तव में इस अवधि के दौरान संबन्धित फर्म द्वारा न्यूज़ पेपर नगर परिषद को सप्लाई किए गए थे। वर्णित अभिलेख के अभाव में उपरोक्त वर्णित भुगतान का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव न हो सका। इसके अतिरिक्त 3 से 5 वर्ष उपरान्त न्यूज़ पेपर सप्लाई हेतु एक मुश्त ₹11000 के भुगतान का भी अंकेक्षण को औचित्य स्पष्ट नहीं किया गया । अत: वर्णित प्रकरण की विभागीय स्तर पर उचित जांच पड़ताल करके उक्त भुगतान की देयता की पुष्टि की जाए और गलत भुगतान पाए जाने की अवस्था में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल मेंलाई जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) लोक सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम की अपेक्षा सीधे तौर पर समाचार पत्रों को दिये गए विज्ञापनों के भुगतान से 15% कमीशन की कटौती न करने के कारण `₹0.94 लाख के सरकारी राजस्व की हानि

सूचना एंव लोकसम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के पत्रसंख्या -2006/01-15 pub-92-14263 दिनांक 30-08-2006 व पत्रसंख्या 1 & PR-H(F)-4(APP)/2013 दिनांक 5-7-2013द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार समस्त विभागो, बोर्ड, कार्पोरेशन द्धारा दिये जाने वाले सभी प्रकार के विज्ञापन सूचना एंव लोक सम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से छपवाये जाने अन्यथा विज्ञापन न छपवाये जाने की स्थिति में विज्ञापन की एवज में भुगतान की जाने वाली राशि मे से 15% कमीशन के रूप में कटौती करके हि.प्र. सरकार के आय शीर्षक 300-60-220 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। वितीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के दौरान विभिन्न व्यय वाउचरो का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि नगर परिषद द्धारा विज्ञापन के रूप में **परिशिष्ट "झ"** में वर्णित विवरणानुसार ₹**626857/-** का भुगतान सूचना एंव लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम की अपेक्षा सीधे विभिन्न फार्मों एवं व्यक्तियों को किया गया था जो कि उक्त वर्णित दिशा निर्देशों की अवेहलना है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त पत्र में वर्णित शर्त के अनुसार विज्ञापन सूचना एंव लोकसम्पर्क विभाग हिमाचल प्रदेश के माध्यम से न छपवाए जाने की अवस्था में विज्ञापन फर्मों को भुगतान की गई राशि मे से 15% की दर से देय कमीशन ₹**94028.55**

(₹**626857** X 15%= ₹ 94028.55) की कटौती करके राशि को हिमाचल प्रदेश सरकार के आय शीर्षक 300-60-220 में भी जमा नहीं करवाया गया था जिसके कारण हिमाचल प्रदेश सरकार को परोक्ष रूप से ₹**94028.55** की राजस्व हानि हुई है जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है जिसका या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाकर भविष्य में सरकारी दिशा निर्देशों अनुसार विज्ञापन छपवाने व तदानुसार भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ग) विभिन्न त्योहारों/दिवसों के शुभकामना/बधाई संदेशों के विज्ञापनों पर ₹0.25 लाख का अपव्यय

वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के व्यय/भुगतान वाउचरों का उपलब्ध करवाए गए सम्बन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा, निम्न विवरण अनुसार, विभिन्न त्योहारों /दिवसों के उपलक्ष्य पर परिषद के सदस्यों के रंगदार फोटो सहित शुभकामना/बधाई संदेशों के विज्ञापन छपवाने पर ₹**25400** का व्यय किया गया था जोकि अपव्यय प्रतीत होता है क्यूंकि इसका परिषद की नियमों के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों व् उदेश्यों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं था तथा यह व्यय लोक हित की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रतीत होने के कारण परिषद निधि पर अनुचित प्रभार प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त हि०प्र० सरकार के निर्देशानुसार विज्ञापन हि०प्र० लोक सम्पर्क विभाग के माध्यम से छपवाए जाने अपेक्षित है परंतु वर्णित प्रकरणों में इन अनुदेशों के प्रतिकूल सीधे ही अख़बारों में उच्च दरों पर विज्ञापन छपवाए गए थे। अतः वर्णित व्यय का नगर परिषद हित में नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाने के अतिरिक्त भविष्य इस प्रकार की अनियमितता पर पूर्ण रोक लगाईं जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

विभिन्न त्यौहारों/दिवसों की शुभ कामना/बधाई संदेशों पर अवधि 01.04.16 से 31.03.18 के दौरान व्यय किए गए व्यय का पूर्ण विवरण।

वाऊचर संख्या /दिनांक	विज्ञापन की एजैंसी	विज्ञापन पर खर्च की गई राशि	विज्ञापन का उद्देश्य

1]	30&10&2017	Khabronwala	6000/-	Diwali, 2017 की शुभकामना सन्देश
2]	18&11&2017	Dainik Bhaskar	5000/-	Dushehra, 2017 –do-
3]	16&12&2017	Him Ujala	5000/-	Diwali,2017 –do-
4]	10&01&2018	Pitamah	4400/-	1-01-2018 New Year –do-
5]	10&1&2018	Sirmour News	5000/-	Diwali, 2017 –do-
		Total	**25400**	

(**वाऊचर संख्या 56 दिनांक 26.05.2017 ₹32474)**

(घ) यात्रा भत्ता ₹0.32 लाख का अनियमित भुगतान

वाऊचर संख्या 56 दिनांक 26.05.2017 से ₹32474/- का भुगतान श्री संजय सिंघल तत्काल प्रधान, नगर परिषद पौंटा साहिब (अवधि 18.01.11 से 14.02.16) को उनके दिनांक 14.10.2013 से 18.10.2013 एवं अवधि 3/2014 से 8/2015 के दौरान यात्रा भते दावे के लिए किया गया था। इस भुगतान के अंकेक्षण के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(i) 14.10.13 से 18.10.13 से सम्बन्धित यात्रा भत्ता दावा बिल (TA Claim) यात्रा पूर्ण करने के एक वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत किया गया था जबकि TA Rules के अनुसार यात्रा भता दावे बिल यात्रा पूर्ण करने के एक वर्ष के भीतर ही भुगतान हेतु प्रस्तुत किए जाने अपेक्षित है अन्यथा एक वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत यात्रा भता दावे बिल कालातीत दावो की श्रेणी में आते थे और उस स्थिति में तभी भुगतान हेतु मान्य है जब इन यात्रा भता दावा बिलों के सन्दर्भ में सक्षम प्राधिकारी की specific स्वीकृति भुगतान से पूर्व ली गई हो। इसके अतिरिक्त वर्णित यात्रा भता दावे में पोंटा साहिब से गुजरात तक की गई यात्रा भी शामिल थी परन्तु बिल में गुजरात राज्य के उस शहर का नाम वर्णित नहीं था, जिस शहर तक यात्रा की गई थी। साथ ही यात्रा भता दावे बिल में यात्रा का उद्देश्य, यात्रा कार्यक्रम की स्वीकृति, प्रति यात्रा दैनिकी टैक्सी का बिल इत्यादि भी यात्रा दावे के साथ संलग्न नहीं किया गया था।

(ii) माह 03/14 से माह 08 /15 से सम्बन्धित यात्रा दावा बिल में विभिन्न कार्य दिवसों को पौंटा साहिब से नाहन और शिमला हेतु की गई यात्रा से सम्बन्धित यात्रा भते का भुगतान किया गया था किन्तु यात्रा दावे के साथ भी यात्रा का उद्देश्य, यात्रा कार्यक्रम की स्वीकृति, प्रति यात्रा दैनिकी इत्यादि संलग्न नहीं किया गया था।

उपरोक्त वर्णित सूचना/अभिलेख/स्वीकृति के अभाव में यात्रा भत्ता दावे का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव नहीं हो सका तथा नगर पंचायत द्वारा किया गया वर्णित भुगतान अनियमित है। इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 34/2018 दिनांक 27.11.18 प्रतिउतर में पत्र संख्या एम0सी0पी0/लेखा शाखा/2018-19-1298 दिनांक 26.11.2018 द्वारा सूचित किया गया कि श्री संजय सिंघल तत्कालीन प्रधान नगर परिषद द्वारा यात्रा भता दावे बिल के साथ यात्रा का उद्देश्य, यात्रा कार्यक्रम की स्वीकृत प्रति, यात्रा दैनिकी, टैक्सी बिल इत्यादि संलग्न नहीं किया गया था प्रस्तुत प्रतिउतर संतोषजनक नहीं पाया गया कि क्योंकि नियमानुसार किसी भी दावे का भुगतान करने से पूर्व इसकी देयता सम्बन्धी सभी औपचारिकताएं नियमानुसार पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जानी अनिवार्य है। अतः उपरोक्त सुचना/अभिलेख/स्वीकृति के अभाव में वर्णित यात्रा भत्ता दावे बिल `₹32472 की राशि के भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित समस्त अभिलेख/सुचना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति /स्वीकृति सहित आगामी अंकेक्षण के दौरान सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

15 निर्माण कार्य

(क) नियमानुसार विहित आवश्यक औपचारिक्ताएं पूर्ण किए बिना संविदाकारों को `₹16.71 लाख का भुगतान करना

(वाऊचर संख्या : 48 दिनांक 24.01.2018 ₹ 991500)

(वाऊचर संख्या : 21 दिनांक 06.02.2017 ₹ 679500)

उपरोक्त वर्णित व्यय वाऊचरों के अन्तर्गत ₹1671000/- (₹ 991500/- + ₹ 679500/-) का भुगतान संविदाकारों को नगर पालिका क्षेत्र के विभिन्न वार्डो में बरसात के दौरान सड़कों में हुये गड्ढों को भरने के लिए 40एमएम गटके की आपूर्ति करने हेतु किया गया था। भुगतान वाऊचरों का उपलब्ध संबन्धित अभिलख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि उपरोक्त वर्णित कार्य निष्पादित करवाने

हेतु नियमानुसार आवश्यक औपचारिकताताएँ जैसे कि खुले बाज़ार से निविदायें आमंत्रित करना, कार्य को करवाए जाने से पूर्व प्राक्कलन तैयार व सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित करवाना, नगर परिषद द्वारा संबन्धित कार्य को किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पारित करके प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान करना इत्यादि पूर्ण नहीं की गई थी । इसके अतिरिक्त अंकेक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि निष्पादित निर्माण कार्य की माप पुस्तिका में भी कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। बल्कि संविदाकारों को 40एमएम गटके की सप्लाई हेतु भुगतान संबन्धित वार्ड पार्षद के प्रमाण पत्र के आधार पर किया गया था जिसमें केवल यह सत्यापित किया गया था कि उनके वार्ड में इतने ट्राली गटका डाला गया था जबकि आपूर्ति गटके की प्रमात्रा प्रमाण पत्र में वर्णित नहीं थी और कई पार्षदों के द्धारा प्रदान किए गए प्रमाण पत्रों में दिनांक इत्यादि भी अंकित नहीं की गई थी । इस संदर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना 39/2018 दिनांक 29.11.2018 के प्रतिउतर में कार्यकारी अधिकारी ने पत्र संख्या एम.सी.पी.-2018 शून्य दिनांक शून्य द्धारा सूचित किया गया कि नगर परिषद की साधारण बैठक दिनांक 30.08.2017 में पारित प्रस्ताव संख्या 27 के अनुसार निर्णय लिया गया था कि बरसात के कारण गलियों/सड़कों पर गड्डे पड़ गये हैं शहर में गटका डलवाया जाए। इसलिए पार्षदों की रिपोर्ट के अनुसार गटका डलवाया गया था। साथ ही कार्य की जरूरत और जल्दी के कारण इसका कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था और किये गये कार्य की माप पुस्तिका में कोई प्रविष्टि नहीं की गई थी। उतर संतोषजनक नहीं पाया गया क्योंकि नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से सभी विहित औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए उक्त निर्माण कार्य करवाया जाना अपेक्षित है । अतः वर्णित प्रकरण में विभागीय स्तर पर पूर्ण छानबीन करके 40 एम् एम् गटके की आपूर्ति हेतु संविदाकारों को आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण किये बिना किये गए `₹1671000 के भुगतान को न्यायोचित ठहराते हुए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए अन्यथा भुगतान गलत पाए जाने की अवस्था में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए और अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) निर्माण कार्य मद की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को ₹0.81 लाख का अधिक भुगतान

वाऊचर संख्या 25 माह 09/2016 ₹15,82,825/- (ii)

कार्य का नाम	Laying of CC Tiles from Rani Photo Studio to H/O Sh.Sukhvinder Singh to NH-72 W.No.8 (Job No. 10) Agreement No. MCP/Works/2014-15 -1316 Dt. 12.01.2015
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	5 to 8 of 142
अनुबंध संख्या/ आबंटन पत्र संख्या	MCP/WORKS/2015-16-278 Dt. 10.06.2015
संविदाकार का नाम	Sh.Kamlesh Pundir
रनिंग बिल संख्या	2nd & Final Running bill

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या 1 i.e. Demolition below GL up to 1.50m depth, कार्य मद संख्या 4 i.e. P/L 80mm thick heavy duty precast CC interlocking Paver Blocks और कार्य मद संख्या 3 i.e. P/L CC 1:6:12 की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की माप पुस्तिका में दर्ज प्रविष्टियों की आपस में तुलना करने पर पाया गया कि कार्य मद संख्या 4 की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹81103 का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

Qty of item No. 1 i.e Demolition was executed and paid (MB No. 131,P.No.27)	**Qty of CC 1:6:12 executed and paid. (MB No. 131,P.No.28 to 29)**	**Qty of P/L 80mm thick heavy duty precast CC interlocking Paver Blocks executed and paid (MB No. 131,P.No.29 to 30)**	**As per Qty of CC 1:6:12 the Qty of 80mm thick heavy duty precast CC interlocking paver blocks should be paid.**	**Total Excess Qty of item No. 4 was paid to the Contractor**	**Rate of item no. 7 i.e. P/L 80mm thick heavy duty precast CC interlocking Paver Blocks**	**Total Excess payment (₹)**
522.62 m^2X0.075= 39.20 m^3	522.62 m^2- 124.60 m^2 X 0.10= 39.80m^3 (124.60 m^2 for deduction)	522.62m^2- 28.06m^2= 494.56 m^2 (28.06m^2 is for deduction) but paid for 494.00 m^2 Quantity	522.62m^2- 124.60m^2 = 398.02m^2	494.00 m^2 - 398.02m^2 = 95.98 m^2	845 per m2	81103.10 Say ₹81103

(ग) वाऊचर संख्या 25 दिनांक 09/2016 ₹15,82,825/-

कार्य का नाम	Re C/o Street from Bhatia Palace to Pal Guest House in W.No.7&8 (Job No. 11) Agreement No. MCP/Works/2014-15 -1315 Dt. 12.01.2015
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	68 to 73 of 139
अनुबंध संख्या/ आबंटन पत्र संख्या	MCP/WORKS/2015-16-278 Dt. 10.06.2015

संविदाकार का नाम Sh.Kamlesh Pundir

रनिंग बिल संख्या 1st & Final Running bill

(i) निर्माण कार्य मद की निष्पादित प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कर्ण संविदाकार को ₹0.75 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त निर्माण कार्य की मद संख्या 7 i.e. P/L 80mm thick heavy duty precast CC interlocking Paver Blocks और कार्य मद संख्या 3 i.e. P/L CC 1:6:12 की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की माप पुस्तिका में दर्ज प्रविष्टियों की आपस में तुलना करने पर पाया गया कि कार्य मद संख्या 7 की निष्पादित प्रमात्रा की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹75298 का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को bhi अवगत करवाया जाए :-

Qty of CC 1:6:12 executed and paid. (MB No. 131,P.No.22)	**Qty of P/L 80mm thick heavy duty precast CC interlocking Paver Blocks executed and paid (MB No. 131,P.No.24)**	**As per Qty of CC 1:6:12 the Qty of 80mm thick heavy duty precast CC interlocking paver blocks should be paid.**	**Total Excess Qty of item No. 7 was paid to the Contractor**	**Rate of item no. 7 i.e. P/L 80mm thick heavy duty precast CC interlocking Paver Blocks**	**Total Amount Excess payment (₹)**
667.72 m^2 X 0.10= 66.77m^3	758.44m^2- 11.66m^2= 746.78 m^2 (11.66m^2 is for deduction)	667.72m^2- 11.66m^2 = 656.06m^2	746.78 m^2 - 656.06m^2 = 90.72 m^2	830 per Sqr.	75297.60

(ii) निर्माण कार्य मद संख्या 5 i.e. P/L CC 1:2:4 की निष्पादित कार्य प्रमात्र की गणना में त्रुटि के कारण संविदाकार को ₹0.03 लाख का अधिक भुगतान

उपरोक्त निर्माण कार्य में Drain निर्माण के लिए निष्पादित की गई मद संख्या 1 i.e Demolition of below GL up to 1.50 mtr depth, (MB No. 140 P.No. 24) का 0.10 mtr गहराई हेतु, व कार्य मद संख्या 2 i.e Cutting in earth work (MB No. 140 P.No. 25), का 0.40 mtr गहराई हेतु भुगतान किया गया था। इसके अतिरिक्त कार्य मद संख्या 3 i.e. P/L CC 1:6:12(MB No. 140 P.No. 25) का 0.10 mtr, गहराई हेतु और अतिरिक्त कार्य मद संख्या EI i.e Form Work in Wall Surfaces(MB No. 140 P.No. 24) का 0.50 mtr, गहराई हेतु भुगतान किया गया था। जिनके आधार पर कार्य मद संख्या 5 i.e. P/L CC 1:2:4 (MB No. 140 P.No. 26) का केवल

0.40mtr गहराई हेतु ही संविदाकार को भुगतान देय बनता था परन्तु इसकी अपेक्षा संविदाकार को 0.50mtr गहराई हेतु भुगतान किया गया जोकि निम्न विवरणानुसार ₹2846 अधिक था।

Qty of item No. 5 Executed & Paid to the Contractor	**Qty of 5 as per Audit**	**Excess in cum**	**Rate per cum (₹)**	**Total Amount of Excess Payment (₹)**
For Drain 3X2X15X0.10X0.50= 4.50m^3 2X1X7.10X0.10X0.50=0.71 m^3	For Drain 3X2X15X0.10X0.40= 3.60m^3 2X1X7.10X0.10X0.40=0.56 m^3	 0.90 0.15		
		1.05	**2710.00**	**2845.50**

अतः उक्त वर्णित अधिक भुगतान का नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा ₹2846 की अधिक उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(घ) वाऊचर संख्या 44 दिनांक 10/2016 ₹1074149/-

कार्य का नाम	P/L of Tiles in W.No. 11 near the H/O Sh. Umesh Towards H/o of Sh. Arora and the H/o Sh.Rangan towards H/o Sh. Shubash (Job No. 45) Agreement No. MCP/Works/2015-16-278 Dt. 10.06.2015
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	96 to 98 of 142, 88 to 94 of 131
अनुबंध संख्या/ आबंटन पत्र संख्या	MCP/WORKS/2015-16-278 Dt. 10.06.2015
संविदाकार का नाम	M/s Manoj Industries, Paonta Sahib
रनिंग बिल संख्या	1st & Final Running bill

(i) निर्माण कार्य भुगतान बिल से अनुबन्ध के अनुसार Rebate की कटौती न करने के कारण संविदाकार को ₹0.54 लाख का अधिक भुगतान

उक्त निर्माण कार्य प्रथम अन्तिम बिलों का संबन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुबन्ध अनुसार संविदाकार द्वारा कुल भुगतान में से 5% की दर से Rebate दिया जाना स्वीकार किया गया था परंतु संविदाकार को भुगतान करते समय 5% की दर से Rebate की कटौती नहीं की गई थी जिसके कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹53707 अधिक भुगतान किया गया। जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है। अत: संविदाकार को किए गए ₹53707 के अधिक भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

Particulars	**Payment Made (₹)**	**Payment due (₹)**
Total Value of Work Done as per MB No.	1074149.00	1074149.00

142 P.No. 98		
Less Rebate @ 5%		53707.45
Less Security @10%	107415.00	107415.00
Less Sale Tax @3%	32225.00	32225.00
Less I Tax @ 2.06%	22128.00	22128.00
Less Labour Cess @1%	10742.00	10742.00
Less Cement 390 Bags @ 302/-	117780.00	117780.00
Less Empty Cement Bags	390.00	390.00
Total Payment	783469.00	729761.55
Total Excess payment (783469-729761.55)		53707.45

(ii) निर्माण कार्य मद संख्या 5 i.e. P/L CC 1:3:6 की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹0.0.9 लाख का अधिक भुगतान

उपरोकत निर्माण कार्य के प्रथम व अन्तिम बिल का संबन्धित अभिलेख के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 7 i.e Prov. Form Work with steel plate 3.15mm thick (1) Flat Surfaces के निष्पादित क्षेत्रफल की तुलना में कार्य मद संख्या 5 i.e P/L CC1:3:6 हेतु अधिक क्षेत्रफल के लिए संविदाकार को भुगतान किया गया था जबकि तय मानकों के अनुसार Drain निर्माण के मामले में मद संख्या 7 के निष्पादन के उपरान्त उसी लम्बाई और चौड़ाई की मात्रा में मद संख्या 5 का भुगतान (गहराई सहित) किया जायेगा, जब तक कि माप पुस्तिका में अधिक मात्रा निष्पादित किये जाने का कोई विशेष कारण स्पष्ट न किया जाए । अतः वर्णित अनियमितता के कारण संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹9438 का अधिक भुगतान किया गया। जिसे या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को bhi अवगत करवाया जाए :-

Item No. 7 i.e Prov. Form Work with steel plate 3.15mm thick (1) Flat Surfaces **(MB No. 131 P.No. 89, 90**	**Item No. 5** i.e P/L CC1:3:6 **(MB No. 131 P.No. 90, 91**	**Qty of Item No. 5** i.e P/L CC1:3:6 **as per Audit**	**Excess in cum**	**Rate of Item No. 5 per Cum (₹)**	**Total Excess Payment for Item No. 5 (₹)**
1X2X15X(0.30+0.30)/2	1X1X15.60X(0.30+0.30)	1X1X15.00X(0.30+0.30)/	0.03	3300	99.00

= 9.00m^2	/2X0.15= 0.70m^3	2X0.15= 0.67m^3			
For Wall 1X2X12.70X0.45= 11.43 m^2	For Wall 1X10.50X(0.60+0.30)/2 X0.60= 2.83 m^3 1X12.70X(0.60+0.30)/2 X0.45= 2.57 m^3 total =5.40 m3	1X12.70X(0.60+0.30)/2X 0.45= 2.57 m^3	2.83	3300	9339.00
Total					**9438.00**

(ङ) **निर्माण कार्य मद संख्या 1 i.e. Cutting in earth Work & Disposal of Excavated Earth की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹0.05 लाख का अधिक भुगतान**

वाऊचर संख्या 17 दिनांक 05/2016 ₹606067/-

कार्य का नाम	P/F of Tiles in Ward No. 5 near Madan Ashtha towards the H/O Dr. Sarin Phase-II (Job No. 14)
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	67 to 70 of 140
अनुबंध संख्या/ आबंटन पत्र संख्या	MCP/WORKS/2015-16-196 Dt. 25.05.2015
संविदाकार का नाम	Sh. Baber Khan
रनिंग बिल संख्या	1st & Final Running bill

तय मानको के अनुसार **CC Inter Lock Paver Tiles** के निर्माण कार्य Process में सर्वप्रथम **Cutting in earth work** की मद निष्पादित की जायेगी तथा उसके बाद खुदाई के स्थान पर **CC 1:6:12** डाली जायेगी तत्पश्चात **CC Inter Lock Paver Tiles** लगाई जायेगी। उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम व अन्तिम बिल का उपलब्ध अभिलेखों, माप पुस्तिका, प्राक्कलन इत्यादि के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि कार्य मद संख्या 1 **i.e. Cutting in earth Work & Disposal of Excavated Earth** के निष्पादन में खुदाई **0.30** मीटर गहराई (**depth)** तक की गई थी जबकि कार्य मद संख्या 2 **i.e.** CC 1:6:12 के निष्पादन के लिए 0.10 मीटर गहराई (**depth)** ली गई थी। इस प्रकार **CC Inter Lock Paver Tiles** हेतु केवल 0.20 मीटर (0.30मीटर – 0.10 मीटर = 0.20 मीटर) गहराई (**depth)** ही शेष रह गई थी जबकि अनुबन्ध के अनुसार कार्य मद संख्या 3 **i.e. P/F CC Inter Lock Paver Tiles 80mm thick laid in 40mm sand** अर्थात 0.08 मीटर मोटी टाईल 0.04 मीटर रेत के साथ कुल 0.12 मीटर मोटाई हेतु ही निष्पादित की जानी थी। इस प्रकार उपरोक्त वर्णित विवरणानुसार CC Inter Lock Paver Tiles डाले जाने के बाद भी **0.08मीटर** गहराई (**depth)** (0.20m-0.12m) की जगह खाली रह गई थी जिसे किसी भी तरह से भरा नहीं गया था जैसा कि माप

पुस्तिका और अन्य उपलब्ध अभिलेखों से विदित होता हैं तथा यह तय मानकों के विरुद्ध है। अतः इस प्रकार अनुबन्ध की कार्य मद संख्या **1 i.e. Cutting in earth Work & Disposal of Excavated Earth** के निष्पादन में 0.08 मीटर गहराई (**depth)** का आवश्यकता से अधिक कार्य दर्शाकर संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹**5443.00** का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए :-

Detail of Items	**Qty. executed & paid to Contractor in 1st & Final Bill**	**Rate**	**Total Amount**
मद संख्या 1 i.e. Cutting in earth Work & Disposal of Excavated Earth (Paid for 0.30mtr depth)	248.92m^3	82 per m^3	20411.44
मद संख्या 2 i.e. CC 1:6:12(Paid in 0.10mtr depth))	82.97 m^3	1920 per m^3	159302.40
मद संख्या 3 i.e. P/F CC Inter Lock Paver Tiles 80mm thick laid in 40mm Sand or say 0.12mtr depth			
Excess Payment to Contractor for Item No. 1 {0.30mtr-(0.10mtr+0.12mtr)}=0.08mtr.	248.92 m^3 /0.30= 829.73X0.08=66.38 m^3	82 per m^3	5443.16
Or say			5443.00

(च) अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 2 i.e. Cutting in earth Work & Disposal of Excavated Earth की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹0.04 लाख का अधिक

वाऊचर संख्या 45 दिनांक 09/2016 राशि ₹791851/-

कार्य का नाम	P/F of Tiles in Ward No. 8 from Gita Bhawan to NH-72 Phase-I (Job No. 30)
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	46 to 49 of 141
अनुबंध संख्या/ आबंटन पत्र संख्या	MCP/WORKS/2015-16-200 Dt. 25.05.2015
संविदाकार का नाम	Sh. Sanjeev Kumar
रनिंग बिल संख्या	1st & Final Running bill

तय मानको के अनुसार CC Inter Lock Paver Tiles के निर्माण कार्य process में सर्वप्रथम Demolition की मद (जैसा भी मामला) और उसके उपरांत Cutting in earth work की मद निष्पादित की जायेगी, उसके बाद खुदाई के स्थान पर CC 1:6:12 डाली जायेगी तथा तत्पश्चात CC Inter Lock Paver Tiles लगाई जायेगी। उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम व अन्तिम चलत बिल का उपलब्ध अभिलेख, माप पुस्तिका, प्राक्कलन इत्यादि के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 1 i.e. Demolition below GL up to 1.50mtr depth के निष्पादन में 0.10 मीटर गहराई (depth) का खुदाई कार्य किया गया था साथ ही कार्य मद संख्या 2 i.e. Cutting in earth Work & Disposal of Excavated Earth के निष्पादन में 0.15 मीटर गहराई (depth) का खुदाई कार्य किया गया था, इस प्रकार कुल गहराई 0.25 मीटर (0.10मी.+0.15मी.) कार्य निष्पादन हेतु संविदाकार को भुगतान किया गया था जबकि कार्य मद संख्या 3 i.e. CC 1:6:12 के कार्य निष्पादन में 0.10 मीटर गहराई (depth) हेतु भुगतान किया गया था। इस प्रकार CC Inter Lock Paver Tiles के निर्माण कार्य हेतु केवल 0.15मीटर गहराई (depth) (0.25मीटर – 0.10 मीटर = 0.15 मीटर) ही शेष रह गई थी जबकि अनुबन्ध के अनुसार कार्य मद संख्या 4 i.e. P/F CC Inter Lock Paver Tiles 80mm thick laid in 40mm sand अर्थात 0.08 मीटर मोटी टाईल 0.04 मीटर रेत के साथ कुल 0.12 मीटर मोटाई हेतु ही निष्पादित की जानी थी। इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार CC Inter Lock Paver Tiles डाले जाने के बाद भी 0.03मीटर गहराई (depth) (0.15m-0.12m) की जगह खाली रह गई थी। जिसे किसी भी तरह से भरा नहीं गया था जैसा कि माप पुस्तिका और अन्य उपलब्ध अभिलेखों से विदित होता हैं तथा यह तय मानकों के विरुद्ध है I अतः इस प्रकार अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 2 i.e. Cutting in earth Work & Disposal of Excavated Earth के निष्पादन में 0.03 मीटर गहराई (depth) का आवश्यकता से अधिक कार्य निष्पादित दर्शाकर संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹4222.00 का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

Detail of Items	**Qty. executed & paid to Contractor in 1st & Final Bill**	**Rate (₹)**	**Total Amount (₹)**
मद संख्या 1 i.e. Demolition below GL up to 1.50mtr depth (Paid for 0.10mtr depth)	70.45m^3	480.00 per m^3	33816.00
मद संख्या 2 i.e. Cutting in earth Work & Disposal of Excavated Earth (Paid for 0.15mtr depth)	105.59m^3	200 per m^3	21118.00
मद संख्या 3 i.e. CC 1:6:12(Paid in 0.10mtr depth))	70.98m^3	1900 per m^3	134862.00
मद संख्या 4 i.e. P/F CC Inter Lock Paver Tiles			

80mm thick laid in 40mm Sand or say 0.12mtr depth			
Excess Payment to Contractor for Item No.2	$105.59m^3/0.15=$ $703.93X0.03=21.11m^3$	200 per m^3	4222.00
{(0.10 mtr +0.15 mtr) –(0.10 mtr +0.12 mtr)= 0.03mtr.			
		Or say	**4222.00**

(छ) अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 2 i.e. Cutting in earth Work & Disposal of Excavated Earth की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गलत गणना के कारण संविदाकार को ₹0.04 लाख का अधिक भुगतान
वाऊचर संख्या 45 दिनांक 09/2016 ₹796111/-

कार्य का नाम	P/F of Tiles in Ward No. 8 from Gita Bhawan to NH-72 Phase-II (Job No. 31)
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	22 to 25 of 142
अनुबंध संख्या/ आबंटन पत्र संख्या	MCP/WORKS/2015-16-201 Dt. 25.05.2015
संविदाकार का नाम	Sh. Sanjeev Kumar
रनिंग बिल संख्या	1st & Final Running bill

तय मानको के अनुसार CC Inter Lock Paver Tiles के निर्माण कार्य Process सर्वप्रथम Demolition की मद (जैसा भी मामला) और उसके उपरांत Cutting in earth work की मद निष्पादित की जायेगी, उसके बाद खुदाई के स्थान पर CC 1:6:12 डाली जायेगी तथा तत्पश्चात CC Inter Lock Paver Tiles लगाई जायेगी। उपरोक्त निर्माण कार्य के प्रथम व अन्तिम चलत बिल का उपलब्ध अभिलेख, माप पुस्तिका, प्राक्कलन इत्यादि के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 1 i.e. Demolition below GL up to 1.50mtr depth के निष्पादन में 0.10 मीटर गहराई (depth) का खुदाई कार्य किया गया था साथ ही कार्य मद संख्या 2 i.e. Cutting in earth Work & Disposal of Excavated Earth के निष्पादन में 0.15 मीटर गहराई (depth) का खुदाई कार्य किया गया था, इस प्रकार कुल गहराई 0.25 मीटर (0.10मी.+0.15मी.) कार्य निष्पादन हेतु संविदाकार को भुगतान किया गया था जबकि कार्य मद संख्या 3 i.e. CC 1:6:12 के कार्य निष्पादन में 0.10 मीटर गहराई (depth) हेतु भुगतान किया गया था। इस प्रकार CC Inter Lock Paver Tiles के निर्माण कार्य हेतु केवल 0.15मीटर गहराई (depth) (0.25मीटर – 0.10 मीटर = 0.15 मीटर) ही शेष रह गई थी जबकि अनुबन्ध के अनुसार कार्य मद संख्या 4 i.e. P/F CC Inter Lock Paver Tiles 80mm thick laid in 40mm sand अर्थात 0.08 मीटर मोटी टाईल 0.04 मीटर रेत के साथ कुल 0.12 मीटर मोटाई हेतु ही

निष्पादित की जानी थी। इस प्रकार उपरोक्त विवरण के अनुसार CC Inter Lock Paver Tiles डाले जाने के बाद भी 0.03मीटर गहराई (depth) (0.15m-0.12m) की जगह खाली रह गई थी जिसे किसी भी तरह से भरा नहीं गया था जैसा कि माप पुस्तिका और अन्य उपलब्ध अभिलेखों से विदित होता हैं तथा यह तय मानकों के विरुद्ध है I अतः इस प्रकार अनुबन्ध की कार्य मद संख्या 2 i.e. Cutting in earth Work & Disposal of Excavated Earth के निष्पादन में 0.03 मीटर गहराई (depth) का आवश्यकता से अधिक कार्य निष्पादित दर्शाकर संविदाकार को निम्न विवरणानुसार ₹4420.00 का अधिक भुगतान किया गया था। जिसे या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित उचित स्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

Detail of Items	**Qty. executed & paid to Contractor in 1st & Final Bill**	**Rate (₹)**	**Total Amount (₹)**
मद संख्या 1 i.e. Demolition below GL up to 1.50mtr depth (Paid for 0.10mtr depth)	65.22m^3	480.00 per m^3	31306.00
मद संख्या 2 i.e. Cutting in earth Work & Disposal of Excavated Earth (Paid for 0.15mtr depth)	110.53m^3	200 per m^3	22106.00
मद संख्या 3 i.e. CC 1:6:12(Paid in 0.10mtr depth))	62.90m^3	1900 per m^3	119510.00
मद संख्या 4 i.e. P/F CC Inter Lock Paver Tiles 80mm thick laid in 40mm Sand or say 0.12mtr depth			
Excess Payment to Contractor for Item No.2 {(0.10 mtr +0.15 mtr) –(0.10 mtr +0.12 mtr)= 0.03mtr.	110.53m^3 /0.15= 736.86X0.03=22.10m^3	200 per m^3	4420.00
		Or say	**4420.00**

(ज) गणना में त्रुटी के कारण संविदाकारों को ₹0.19 लाख का अधिक भुगतान

निम्न निर्माण कार्यों से सम्बन्धित विभिन्न चलत बिलों का अंकेक्षण करने के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं पाई गई जिनका नियमानुसार उचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये :-

(i) निर्माण कार्य मद , “Brick work using comman brunt clay building bricks in foundation & plinth in CM 1:6 etc.”, की निष्पादित कार्य प्रमात्रा में से 700mm (Extenal)/ 600mm (Internal) dia की Rcc pipe की Deduction की गणना करते समय सूत्र में dia 0.70m की अपेक्षा 0.60m लिया गया था जिस त्रुटी के कारण संविदाकारों को निम्न विवरण अनुसार ₹17263.01 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए I

(ii) इसी प्रकार उक्त (I) में वर्णित त्रुटी के कारण निर्माण कार्य मद, “15mm thick plaster in single coat on rough sides of bricks in CM 1:6 etc.”, में भी निष्पादित कार्य प्रमात्रा में से 700mm (External)/ 600mm (Internal) dia की Rcc pipe की Deduction की गणना करते समय सूत्र में dia 0.70m की अपेक्षा 0.60m लेने के कारण संविदाकारों को निम्न विवरण अनुसार ₹2151.60 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशी की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित की जाए I

संविदाकारों को किये गए अधिक भुगतान का विवरण

Vr.No./Dt.	Amt. of Vr.	Name of work/Agreement No.	Item No.	MB No./P.No.	Name of Contractor	Running Bill No.	Deduction हेतु गणना में ली गई कार्य प्रमात्रा	Deduction हेतु जो कार्य प्रमात्रा गणना में ली जानी चाहिए थी	कार्य प्रमात्रा में अन्तर	कार्य मद की भुगतान दर (₹)	अधिक भुगतान की राशि (₹)
वा0 सं0 20 दिनांक 09/2016	888869	P/L RCC Pipe line in ward No. 6 near Red Cross Road to the H/O Onkar Singh & fixing of interlocking tiles. MCP/Works/2015-16-524 Dt. 29.7.15	8 i.e. Brick work using comman brunt clay building bricks in foundation & plinth in CM 1:6 etc. (MB No. 141, P.No. 54)	63-69 of 141	Sh. Mohkam Singh	1st & Final Running bill	27x3.142/4x0.60x0.60x0.23=1.75 m3	27x3.142/4x0.70x0.70x0.23=2.39 m3	0.64 cum	4790 per cum	3065.60
			9 i.e. 15mm thick plaster in single coat on rough sides of bricks in CM 1:6 etc. “ (MB No. 141, P.No. 54)				26x3.142/4x0.60x0.60=7.35 m2	26x3.142/4x0.70x0.70=10.00m2	2.65sqm	100 per sqm	265
वा0	268	P/L RCC Pipe Line in	9 i.e. Brick work	58 to	Sh.	2nd	5x2x3.	5x2x3.	0.23m3	4700	1105.71

सं0 42 दिनांक 09/2016	404	ward No. 6 Line Heepur Road towards NH-72 Bye Pass-Phase-1 MCP/Works/2015-16-285 dt. 10.6.15	using comman burnt clay building bricks in foundation & plinth in CM 1:6 etc. (MB No. 142, P.No. 47 and MB No. 140 P.No. 1)	63 of 142	Surender Negi	& 3rd Running bill	142/4x0.60x0.60x0.23=0.65m3 9x2x3.142/4x0.60x0.60x0.23=1.59 m3	142/4x0.70x0.70x0.23=0.88 m3 9x2x3.142/4x0.60x0.60x0.23=1.59 m3	0.42 m3	per cum 4700 per cum	1985.75
			10 i.e. 15mm thick plaster in single coat on rough sides of bricks in CM 1:6 et c. (MB No. 54 and MB No. 140, P.no. 3)				5x2x3.142/4x0.60x0.60=2.83m2	5x2x3.142/4x0.70x0.70=3.85 m2	1.02 sqm	120 per sqm	122.40
							23x2x3.142/4x0.60x0.60=13.00 m2	23x2x3.142/4x0.70x0.70=17.69 m2	4.69 sqm	120 per sqm	563.00
वा0 सं0 57 दिनांक 06/2016	2516194	P/L RCC Pipe Line in ward No. 09 Line Near Kirpal Shilla Gurudwara Paonta MCP/Wokrs/2015-16-703 dt. 11.8.15	9i.e. Brick work using comman burnt clay building brick in foundation & plinth in CM 1:6 etc (MB No. 140, P. No. 75, 79)	14 to 20 of 141	Shamshad Ali	1st & Final Running Bill	2x45x3.142/4x0.60x0.60x0.23=5.85m3	2x45x3.142/4x0.70x0.70x0.23=7.96 m3	2.11 m3	4890 per cum	10317.90
							1x1x3.142/4x0.60x0.60x0.23=0.06m3	1x1x3.142/4x0.70x0.70x0.23=0.08 m3	0.02m3	4890 per cum	97.80
							3x2x3.142/44x0.60x0.60x0.23=0.39m3	3x2x3.142/4x0.60x0.60x0.23=0.53m3	0.14 m3	4890 per cum	690.25
			10 i.e. 15mm thick plaster in single coat on rough sides of bricks in CM 1:6 etc (MB No. 141, P.No. 18)				1x1x3.142/4x0.60x0.60=0.28m2				
							45x2x3.142/4x0.60x0.60=24.45 m2	45x2x3.142/4x0.70x0.70=33.28m2	8.83 sqm	130 per sqm	1147.90
							1x3x3.42/4x0.60x0.60=0.8	1x3x3.42/4x0.70x0.70=1.16	0.31 sqm	130 per sqm	40.30

							5m2	m2			
									Total		19414.61

(झ) गणना में त्रुटी के कारण ठेकेदार को ₹0.01 लाख का अधिक भुगतान

वाऊचर संख्या 42 दिनांक 09/2016 राशि ₹288215/-

कार्य का नाम	Renovation of Rehan Besera in Ward No. 8
माप पुस्तिका संख्या/पृष्ठ संख्या	58 to 63 of 142
अनुबंध संख्या/ आबंटन पत्र संख्या	MCP/WORKS/2015-16-554 Dt. 04.08.2015
संविदाकार का नाम	Sh. Surender Negi
रनिंग बिल संख्या	1st Running bill

उक्त निर्माण कार्य की मद संख्या 2, “P/L Duro Stone vertified tiles(300X300X8mm).”, (MB No.142 P.No. 46) की निष्पादित कार्य प्रमात्रा की गलत गणना के कारण संविदाकार को निम्न विवरण अनुसार **₹503/-** का अधिक भुगतान किया गया था जिसका नियमानुसार या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा वर्णित राशि की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये:-

भुगतान हेतु गणना में ली गई निष्पादित कार्य प्रमात्रा	भुगतान हेतु जो निष्पादित कार्य प्रमात्रा गणना में ली जानी चाहिए थी	निष्पादित कार्य प्रमात्रा में अंतर	कार्य मद की भुगतान दर (₹)	अधिक भुगतान की राशी (₹)
2X7.55X6.05= 91.35m^2				
1X4.00X3.60= 14.40 m^2				
1X2.00X1.50= 3.00 m^2				
1X4.00X3.60= 14.40 m^2				
1X2.00X1.50= 3.00 m^2				
1X18.10X1.80=32.58 m^2				
Total =159.03 m^2	**158.73 m^2**	**0.30 m^2**	**1675.00 per Sqr**	**502.50**

(ञ) निर्माण कार्य भुगतान बिलों से नियमानुसार देय रायल्टी की कटौती न किए जाने के कारण संविदाकारों के ₹6.04 लाख का अनुचित लाभ प्रदत करना

Principle Secretary (Industry) to the Govt.of H.P.के पत्र सं० खण्ड-II(एफ०)6-5/2006, दिनांक 16.01.2012 और पत्र संख्या 5-49/79 Ind(Glg) Rules-2015-Vol-IV-1175 दिनांक 12.05.2015 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे स्टोन, पत्थर, रेत, बजरी, चूनापत्थर, संगमरमर

आदि के खनन पर निर्धारित दरों के अनुसार रायल्टी देय है। अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के दौरान संविदाकारों के विभिन्न निर्माण कार्य चलित बिलों के लिए किए गए भुगतानों की पड़ताल करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट– ञ** पर वर्णित प्रकरणों में संविदाकारों के भुगतान बिलों से सम्बन्धित निर्माण कार्यों हेतु उपयोग में लाये गए पत्थरों के संदर्भ में न तो रायल्टी की कटौती की गई थी और न ही उपलब्ध अभिलखों में इसके समर्थन में फॉर्म एम० ही संलग्न किए गए थे जबकि नियमानुसार फार्म एम् की अनुस्थिति में संविदाकार के निर्माण कार्यों के बिलों से पत्थरों की प्रमात्रा के लिये नगर परिषद स्तर पर रॉयलिटी की कटौती की जानी अपेक्षित थी। परिणाम स्वरूप संविदाकारों के भुगतान बिलों से पत्थरों के संदर्भ मे देय रायल्टी **₹604541.81** की कटौती न करके जहाँ संविदाकारों को अनुचित लाभ पहुँचाया गया वही इससे सरकार को भी परोक्ष रूप से राजस्व हानि पहुंचाई गयी है । अत: वर्णित अनियमितता का नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए और भविष्य में संविदाकारों को निर्माण बिलों का भुगतान करने से पूर्व **फार्म एम.** प्राप्त करना अन्यथा भुगतान बिलों से देय दरों से रायल्टी की कटौती की जानी सुनिश्चित की जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाय जाए I

(ट) क्रय निर्माण सामग्री से नियमानुसार वाइड्स (voids) की कटौती न किए जाने के कारण संविदाकारों को ₹2.28 लाख का अधिक भुगतान

अंकेक्षण को प्रस्तुत अभिलेख की जांच में पाया गया कि नगर परिषद द्धारा निर्माण कार्यों हेतु जो सामग्री क्रय की गयी थी उस पर नियमानुसार voids की कटौती के बिना ही भुगतान किया गया था जबकि नियमानुसार 10 एम०एम० से लेकर 20 एम०एम० तक 5% तथा 25 एम०एम० से 40 एम०एम० तक की बजरी पर 10% की दर पर तथा उससे ऊपर पत्थरों की आपूर्ति पर 12.5% voids की कटौती अपेक्षित थी। उक्त वर्णित अनियमितता के परिणामस्वरूप अंकेक्षण अवधि के चयनित माह में क्रय की गई निर्माण सामग्री की आपूर्ति हेतु संविदाकारों को निम्न विवरणानुसार **₹228750/-** का अधिक भुगतान किया गया था जिसे या तो नियमानुसार पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा वर्णित अधिक भुगतान की वसूली सम्बन्धित उचित स्त्रोत से करने के अतिरिक्त भविष्य में नियमानुसार ही क्रय निर्माण सामग्री पर voids की कटौती करके भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये।

Detail of Overpayment due to non deduction of Voids										
Voucher No & Date	Name of work	Name of Supplier	MB No & Page No	Name of item Purchased	Rate of Voids admis sible	Total Qty for which payment was made to the Contractor in Cum without deducting the admissible voids	Total Qty due for payment after deduction of admissible voids	Differen ce Qty for which excess payment was made to the Contract ors	Rate per cum (₹)	Total Excess payment (₹)
31/ 14.10.20 16	Supply of Water Born Aggregate	M/s RSM Enterprises, Paonta Sahib	142 P.No. 83 to 84	Water Borne Aggregate 40mm	10%	579	521.10	57.90	500	28950
47/ 31.10.20 16	Supply of Water Born Aggregate	Sh.Anil Kumar	142 P.No. 94,95	Water Borne Aggregate 40mm	10%	375	337.50	37.50	500	18750
41/18.1 0.2017	Supply of Water Born Aggregate	M/s RSM Enterprises, Paonta Sahib	146 P.No. 51 to 54	Water Borne Aggregate 40mm	10%	279	251.10	27.90	500	13950
21/06.0 2.2017	Supply of Water Born Aggregate	Sh.RaghVeer Singh	NA	Water Borne Aggregate 40mm	10%	1359	1223.10	135.90	500	67950
48/24.0 1.2018	Supply of Water Born Aggregate	Sh.Rajinder Singh	NA	Water Borne Aggregate 40mm	10%	1983	1784.70	198.30	500	99150
Total										228750

(ठ) सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक, व्यय व तकनीकी स्वीकृति को नज़रअंदाज़ करने हेतु निर्माण कार्यों के आंकलन को जान-बूझकर दस लाख से कम दर्शाने सम्बन्धी अनियमितता

Himachal Pradesh Municipal Works Rules,2010 के नियम 3(1) के प्रावधानानुसार नगरपालिका को केवल पांच लाख तक के निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार है तथा नियम 4(2) के प्रावधानानुसार कनिष्ठ अभियंता को केवल तीन लाख व सहायक अभियंता को दस लाख तक के के निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने का प्राधिकार है

किन्तु चयनित माह के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों का अंकेक्षण करने के दौरान पर पाया गया कि निम्न वर्णित प्रकरणों में सक्षम अधिकारी की प्रशासनिक, व्यय व तकनीकी स्वीकृति को नज़रअंदाज़ करने हेतु निर्माण कार्यों के आंकलन को जानबूझकर दस लाख से कम दर्शाकर नगर परिषद अभियंता द्वारा अपने स्तर पर ही स्वीकृत किया गया था जोकि गंभीर अनियमितता है। अतः इस अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए इसे अब सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करके नियमित करवाया जाये तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाये:-

क्रमांक	निर्माण कार्य का नाम	मूल रूप में आंकलन की राशी	संशोधित व् तकनीकी रूप से स्वीकृत आंकलन की
1	P/L RCC Pipe Line in Ward No. 6 near Red Cross Road to the H/O Onkar Singh & Fixing of Interlocking Tiles. (Job No. 22) Agreement No. MCP/Works/2015-16-524 Dt. 29.07.2015 for ₹1179715/-	1040407.70(As per HPSR, 2009 945825 + 10% Premium 94582/-)	945800.00
2	P/L RCC Pipe near Ward No. 9 near Kirpal Shila Gurudwara Paonta Sahib(Job No. 35) Agreement No. MCP/Works/2015-16-703 Dt. 11.08.2015 for ₹1515458/-	1040241.10 (As per HPSR, 2009 945674 + 10% Premium 94567/-)	945700.00
3	P/F of Tiles in NH-72 towards the house of Sh.Jagmohan Singh Om Parkash, Sh.Ashok Sharma, Randeep Kaur up to Durga Colony in Ward No. 4 Agreement No. MCP/Works/2015-16-191 Dt. 25.05.2015 for ₹799488/-	1097821.80 (As per HPSR, 2009 998020+10% Premium 99801.98)	998020.00
4	P/F Tiles in Ward No. 11 Canal Road towards the H/o Sh.Pawan Kumar and near the H/o Sh. Naveen towards Khera Temple Phase-II(Job No. 44) Agreement No. MCP/Works/2015-16-281 Dt. 10.06.2015 for ₹747750/-	1037775.80(As per HPSR, 2009 943433+10% Premium 94343.25)	943500.00

(ड) निर्माण कार्य विलम्ब से पूर्ण करने पर आबंटन पत्र की शर्तानुसार ठेकेदारों से ₹6.56 लाख के दंड शुल्क (penality) की वसूली न करना

चयनित माह के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों का अंकेक्षण करने के दौरान पर पाया गया कि निम्नलिखित प्रकरणों में ठेकेदारों द्वारा निर्धारित समय अवधि में निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने पर न तो परिषद द्वारा उनसे कार्य आबंटन पत्र की शर्त के अनुसार दंड शुल्क (Penalty) की वसूली ही की गई थी और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य पूर्ण करने हेतु नियमानुसार समय अवधि की बढौतरी ही प्रदान की गई थी। अतः इस विषय में नियमानुसार वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए अन्यथा न केवल निम्न विवरणानुसार ₹656460/- के देय दंड शुल्क की वसूली करके परिषद खाते में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए अपितु अंकेक्षण अवधि में इस अनियमितता से सम्बन्धित समस्त अन्य ऐसे प्रकरणों

में भी परिषद स्तर पर पूर्ण छानबीन उपरान्त अपेक्षित कार्यवाही/वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

निर्माण कार्य का नाम/ अनुबन्ध संख्या	निर्माण कार्य पूर्ण करने के लिए निश्चित की गई अवधि	निर्माण कार्य आरंभ /पूर्ण करने की तिथि	निर्माण कार्य पूर्ण करने हेतु लिया गया समय	निर्माण कार्य आबंटन पत्र की शर्त संख्या:4 के अनुसार देय विलम्ब दंड शुल्क (₹)
P/F of Tiles in Ward No. 5near Madan Ashtha towards the H/O Dr. Sarin Phase-II (Job No. 14) Agreement No. MCP/Works/2015-16-196 Dt. 25.05.2015 for ₹ 634504/-	3 months	25.05.2015/ 20.02.2016	9months approx.	63450/-
Mettalling & Tarring of Road in Ward No. 7 near Pal Guest House towards Gurudwara Paonta Sahib and C/O u Shape CC Drain (Job No. 23) Agreement No. MCP/Works/2015-16-280 Dt. 10.06.2015 for ₹747160/-	3 months	10.06.2015/ 02.05.2016	10months approx.	74716/-
P/L RCC Pipe Line in Ward No. 6 near Red Cross Road to the H/O Onkar Singh & Fixing of Interlocking Tiles. (Job No. 22) Agreement No. MCP/Works/2015-16-524 Dt. 29.07.2015 for ₹1179715/-	3 months	29.07.2015/ 31.08.2016	12 months approx.	117971/-
P/L RCC Pipe near Ward No. 9 near Kirpal Shila Gurudwara Paonta Sahib(Job No. 35) Agreement No. MCP/Works/2015-16-703 Dt. 11.08.2015 for ₹1515458/-	3 months	11.08.2015/ 02.03.2016	7 months approx.	151545/-
P/L of Tiles in W.No. 11 near the H/O Sh. Umesh Towards H/o of Sh. Arora and the H/o Sh.Rangan towards H/o Sh. Shubash (Job No. 45) Agreement No. MCP/Works/2015-16-278 Dt. 10.06.2015 for ₹772375/-	3 months	10.06.2015/ 24.09.2016	8 months approx.	77237/-
C/o Street/Pavement near the H/O Er. Chaudhary in W.No. 2 of Paonta Sahib(Job No. 3) Agreement No. JEMCP/465 Dt. 12.04.2017 for ₹463414.80	2 months	12/04/2017/ 25.08.2017	2 months approx	46341/-

C/o Pavement Drain near Balmiki Basti W.No.7 Paonta Sahib (Job No. 13) Agreement No. JEMCP/445 Dt. 12.04.2017 for ₹504249/-	2 months	12.04.2017/ 01.06.2018	14 months approx	50425/-
P/F Tiles in Ward No. 11 Canal Road towards the H/o Sh.Pawan Kumar and near the H/o Sh. Naveen towards Khera Temple Phase-II(Job No. 44) Agreement No. MCP/Works/2015-16-281 Dt. 10.06.2015 for ₹747750/-	3 months	10.06.2015/ 20.03.2017	21 months approx	74775/-
कुल योग				656460/-

(ढ) सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के बिना निर्माण कार्य हेतु ₹25.86 लाख का ठेकेदारों को अनाधिकृत भुगतान

चयनित माह के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित बिलों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट- ट** में वर्णित निर्माण कार्य ठेकेदारों द्वारा आबंटित राशी से अधिक राशी में पूर्ण किए गए थे तथा इस प्रकार इन निर्माण कायों में जो overall deviation थी जिसे सक्षम अधिकारी से अनुमोदन करवाए बिना ही ठेकेदारों को भुगतान किया गया था जोकि गम्भीर वितीय अनियमितता है क्यूंकि नियमानुसार ठेकेदार को भुगतान सक्षम प्राधिकारी से Deviation Statement अनुमोदित करवाए जाने के उपरांत ही किया जाना अपेक्षित था जोकि अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं की गई। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य प्रस्तुत करते हुए इसे अब सक्षम प्राधिकारी की कार्योत्तर स्वीकृति से नियमित करवाया जाए तदानुसार अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

अंकेक्षण पैरा 15 (क) से 15(ढ) तक के सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 43/2018 दिनांक 01.12.2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: M.C.P./Accounts/2018-19 – 1310 दिनांक 05.12.2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

(ण) सीमेंट का सरकारी उपक्रम के माध्यम से क्रय करने की अपेक्षा स्थानीय खुले बाजार से क्रय करने सम्बन्धी अनियमितता

सीमेंट स्टॉक रजिस्टर के अतिरिक्त उपलब्ध करवाए गये सम्बन्धित अभिलेख, जैसे विक्रेता फर्मों के बिल/चालान इत्यादि जिनका विवरण निम्न दिया गया हैं, के अवलोकन से विदित हुआ कि अंकेक्षण अवधि के दौरान परिषद द्वारा सीमेंट की खरीद स्थानीय खुले बाजार से की गई थी और खुले

बाजार से क्रय हेतु नियमानुसार अपनाई जाने वाली विहित प्रक्रिया व् सक्षम प्राधिकारी की वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित अभिलेख भी अंकेक्षण को प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः यह प्रकरण सक्षम उच्चाधिकारियों के ध्यान में विस्तृत छानबीन उपरान्त नियमानुसार उचित कार्यवाही अमल में लाने हेतु लाया जाता है। इसके अतिरिक्त परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में हि०प्र० नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से ही सीमेंट क्रय करने हेतु आवश्यक कदम उठाया जाना सुनिश्चित किया जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए:-

Purchase of cement from the private firms in the open market

Name of firm/Invoice Number and date	Qty. in Bags	Amount (₹)	Stock Register page Number
CCI Cement Factory Rajban, Paonta Sahib	240	69120.00	Vol-II, page No.36
Invoice No.128 Dated 12.05.2016			
Invoice No.129 Dated 12.05.2016	240	69120.00	Vol-II, page No.36
Invoice No.472 Dated 01.08.2016	240	72000.00	Vol-II, page No.37
Invoice No.473 Dated 01.08.2016	240	72000.00	Vol-II, page No.37
Invoice No.551 Dated 27.08.2016	240	72000.00	Vol-II, page No.38
Invoice No.563 Dated 29.08.2016	240	72000.00	Vol-II, page No.38
Invoice No.615 Dated 29.08.2016	240	72000.00	Vol-II, page No.39
Invoice No.616 Dated 29.08.2016	240	72000.00	Vol-II, page No.39
Invoice No.642 Dated 29.08.2016	240	72000.00	Vol-II, page No.40
Invoice No.643 Dated 29.08.2016	240	72000.00	Vol-II, page No.40
Invoice No.644 Dated 29.08.2016	240	72000.00	Vol-II, page No.40
Invoice No.767 Dated 07.11.2016	240	73440.00	Vol-II, page No.41
Invoice No.768 Dated 07.11.2016	240	73440.00	Vol-II, page No.41
Invoice No.828 Dated 06.12.2016	240	73440.00	Vol-II, page No.42
Invoice No.832 Dated 07.12.2016	240	73440.00	Vol-II, page No.42
Invoice No.939 Dated 28.01.2017	240	73080.00	Vol-II, page No.43
Invoice No.940 Dated 28.01.2017	240	73080.00	Vol-II, page No.43
Invoice No.1002 Dated 20.02.2017	240	73080.00	Vol-II, page No.44
Invoice No.1003 Dated 20.02.2017	240	73080.00	Vol-II, page No.44
Invoice No.107 Dated 17.05.2017	240	81118.00	Vol-II, page No.45

Invoice No.108 Dated 01.06.2017	240	81118.00	Vol-II, page No.45
Invoice No.157 Dated 01.06.2017	240	79320.00	Vol-II, page No.46
Invoice No.158 Dated 17.05.2017	240	79320.00	Vol-II, page No.46
Invoice No.185 Dated 15.06.2017	240	79320.00	Vol-II, page No.47
Invoice No.186 Dated 15.06.2017	240	79320.00	Vol-II, page No.47
Invoice No.01 Dated 05.07.2017	240	79560.00	Vol-II, page No.48
Invoice No.02 Dated 05.07.2017	240	79560.00	Vol-II, page No.48
Invoice No.34 Dated 19.07.2017	240	79560.00	Vol-II, page No.49
Invoice No.35 Dated 19.07.2017	240	79560.00	Vol-II, page No.49
Invoice No.126 Dated 17.08.2017	240	79200.00	Vol-II, page No.50
Invoice No.127 Dated 17.08.2017	240	79200.00	Vol-II, page No.50
Invoice No.212 Dated 16.09.2017	240	79200.00	Vol-II, page No.51
Invoice No.213 Dated 16.09.2017	240	79200.00	Vol-II, page No.51
Invoice No.262 Dated 04.10.2017	240	79200.00	Vol-II, page No.52
Invoice No.263 Dated 04.10.2017	240	79200.00	Vol-II, page No.52
Invoice No.378 Dated 14.11.2017	240	78000.00	Vol-II, page No.52
Invoice No.379 Dated 14.11.2017	240	78000.00	Vol-II, page No.52
Invoice No.559 Dated 25.12.2017	240	78000.00	Vol-II, page No.53
Invoice No.560 Dated 25.12.2017	240	78000.00	Vol-II, page No.53
Invoice No.719 Dated 15.01.2018	240	76800.00	Vol-II, page No.54
Invoice No.720 Dated 15.01.2018	240	76800.00	Vol-II, page No.54
Invoice No.952 Dated 17.02.2018	240	76800.00	Vol-II, page No.55
Invoice No.953 Dated 17.02.2018	240	76800.00	Vol-II, page No.55
Total:-	**10320**	**3264476.00**	

16. लॉग बुक

नगर परिषद के विभिन्न वाहनों की चयनित मासों की लॉग बुक का अंकेक्षण करने पर निम्नलिखित अनियमितताएँ पाई गई जिनका यथोचित समाधान करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए :-

(क) नगर परिषद द्वारा **गाड़ियों की औसत तेल खपत निर्धारित न करना**

अंकेक्षण को प्रस्तुत सूचना अनुसार नगर परिषद द्वारा उपयोग की जा रही निम्न वर्णित विभिन्न गाड़ियों की औसत तेल खपत नियमानुसार निर्धारित नहीं की गई थी जिसके अभाव में अंकेक्षण अवधि के दौरान इन गाड़ियों की लॉग बुक में माह के अंत में दर्शायी गई वास्तविक तेल खपत की औसत की सत्यापना अंकेक्षण में सम्भव नहीं हो सकी ।

वाहन का नाम	**वाहन संख्या**
ट्रैक्टर	एच0पी0-17-3630
डम्पर प्लेसर	एच०पी०-17B-0448
डम्पर प्लेसर	एच0पी0-17-4209
मारुति कार Alto800	एच०पी०-17A-3939

अतः नियमानुसार सक्षम अधिकारी से गाड़ियों की औसत मासिक तेल खपत निर्धारित करवाने के अतिरिक्त यदि अंकेक्षण अवधि 01.04.16 से 31.03.18 के दौरान किसी माह में औसत तेल खपत निर्धारित औसत से कम पाई जाती है तो ऐसे प्रकरणों में अधिक तेल खपत के मूल्य की सम्बन्धित उचित स्त्रोत से वसूली सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) एच०पी०-17B-0448 व **एच0पी0-17-4209 की लॉग बुकों का नियमानुसार रख-रखाव न करना**

उपरोक्त गाड़ियों की चयनित मासों की लाग बुकों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि इन वाहनों का प्रयोग विभिन्न स्थानों से कूड़ा एकत्रित करके डम्पिंग साइट पर पहुँचाने हेतु किया जा रहा था। विभिन्न वार्डों से कूड़ा एकत्रित करने व डम्पिंग साइट तक तय दूरी का विवरण लॉग बुक में नहीं दर्शाया जा रहा था बल्कि प्रतिदिन कुल कितने चक्र (Trip) लगाए जा रहे थे, का विवरण ही लॉग बुक में दर्शाया जा रहा था। इसके अतिरिक्त सक्षम अधिकारी द्वारा लॉग बुक में कटिंग्स ,दर्ज दैनिक प्रविष्टियों तथा तेल खपत की मासिक औसत का भी नियमित रूप से सत्यापन नहीं किया जा रहा था तथा उपरोक्त वर्णित विवरण व सूचना के अभाव में लाग बुकों का पूर्ण अंकेक्षण सम्भव नहीं हो सका और ऐसे में वाहन/डीजल के दुरूपयोग की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता । इस संदर्भ में पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदनों में भी आपत्ति दर्ज की गई थी, परंतु इसके बाबजूद भी कोई ठोस कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई जोकि गम्भीर चिन्ता का विषय है । अतः उपरोक्त अनियमितताओं का संज्ञान लेते हुए नियमानुसार यथोचित कार्यवाही अमल में लाई जाए तथा कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत कराया जाए इसके अतिरिक्त भविष्य में लॉग बुकों का नियमानुसार उचित रख रखाव किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 28/2018 दिनांक 20.11.2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या:M.C.P./2018 दिनांक 22.11.2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्ति को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाई जाएगी।

17 हि.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम शिमला को प्रदत ₹0.85 लाख के अस्थाई अग्रिम का दिनांक 31.03.2018 तक समायोजन न करना

अंकेक्षण को अग्रिमों के सम्बन्ध में प्रस्तुत सूचना का संबन्धित अभिलेखों के साथ अंकेक्षण करने पर पाया गया हि.प्र. नागरिक आपूर्ति निगम शिमला को अवधि 07.03.2015 से 10.02.2016 के दौरान प्रदान किए गए अग्रिमों में से दिनांक 31.03.2018 को निम्न विवरणानुसार ₹84942.49 समायोजन हेतु शेष थी। अतः लम्बी अवधि तक अग्रिम राशि को समायोजित न करना एक गंभीर वित्तीय अनियमितता हैं जिसका पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्णित अग्रिम राशि का या तो शीघ्र अतिशीघ्र समायोजन सुनिश्चित किया जाए अन्यथा सम्बन्धित विभाग से राशि वापिस प्राप्त करके नगर परिषद निधि में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 42/2018 दिनांक 01.12.2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: M.C.P./2018 -1322 दिनांक 01.12.2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्ति को ध्यान में रखते हुए यथानुसार कार्यवाही अम्ल में लाकर अग्रिम को यथा शीघ्र समायोजित करने के प्रयास किए जायेगे।

Detail of Advance o/s as on 31.03.2018

Date of Advance	Amount of Advance (₹)	Amount of Advance Adjusted (₹)	Balance of Advance as on 31.03.2018 (₹)	Remarks

07.03.2015	257028	251887.44	5140.56	Advance given to Himachal Pradesh Civil Supply Corporation Shimla for supply of 1000 Cement Bags but they supplied only 980 Bags of Cement Entered on Cement Stock Register 9 to 10
04.08.2015	257028	205622.4	51405.6	Advance given to Himachal Pradesh Civil Supply Corporation Shimla for supply of 1000 Cement Bags but they supplied only 800 Bags of Cement Entered on Cement Stock Register 21 to 22
10.02.2016	170378	141981.67	28396.33	Advance given to Himachal Pradesh Civil Supply Corporation Shimla for supply of 720 Cement Bags but they supplied only 600 Bags of Cement Entered on Cement Stock Register 35
Total	**684434**	**599491.51**	**84942.49**	

18. स्टोर/स्टॉक भण्डार रजिस्टर के रख-रखाव में पाई गई अनियमितताएं

भण्डार रजिस्टर के अवलोकन पर पाया गया कि वर्तमान अंकेक्षण अवधि में क्रय की गई बहुमूल्य मदों को भण्डार में इंद्राज़ करने व जारी करने के उपरान्त "कार्यालय प्रयोग के लिए सम्बन्धित को जारी की गयी" लिखकर ख़ारिज कर दिया गया व उनके शेष को शून्य दर्शाया गया था जोकि उचित नहीं है क्योंकि नियमानुसार अनुपभोजय मदों को जारी करने का विवरण केवल लेखांकित करते हुए उनके शेष यथावत दर्शाया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार स्थायी व् अर्ध-स्थायी मदों का हस्तगत शेष नियमानुसार **"शून्य"** होना ही नहीं चाहिए था तथा इन मदों के शेष को शून्य दर्शाया जाना एक गम्भीर अनियमितता है जिसके कारण इन वस्तुओं के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इंकार नहीं किया जा सकता। इस अनियमितता के कुछ उदहारण निम्न प्रस्तुत हैं। अत: यह प्रकरण उच्च अधिकारियों के ध्यानार्थ इस आश्य के साथ लाया जाता कि वर्णित मदों में नियमानुसार भौतिक सत्यापन करवाना एवं वस्तुओं के कुल शेष को भण्डार रजिस्टर में दर्शाया जाना सुनिश्चित करवाते हुए कृत कार्यवाही से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए:-

Name/Qty. of item purchased	Name of the firm/Bill No./Date	Amount spent on the purchase of item (₹)	Stock Register page No.	To whom issued	Balance shown in the stock Register
Room Heater 9No.	Prem Enterprises P.Sahib/908/03.02.2017	21908.00	16	All the articles were issued to the Officers/Officials	NIL

				of MC	
10 Locks and 1 Tea Cattle	Batra Bartan Bhandar, P. Sahib	3567.00	18	------do-----	NIL
1 Net Device (Jio Fi IME)	T&A Enterprises/790/ 05.01.2017	2000.00	25	------o------	NIL
1 Table (Plastic)	Naresh Bros, P. Sahib/ 9427/17.12/2016	1001.00	27	------do------	NIL
Wall Clocks 4No.	Saini Enterprises, P. Sahib/934/03.02.2017	2400.00	31	------do------	NIL
Ceiling Fans 7No.	Prem Enterprises P.Sahib/1241/Nil	9870.00	36	------do------	NIL
Rikshaw 8No. 15No. 13No	HP Agro Industries, P.Sahib/0028582/ 09.05.2017 --do--/028586/19.05.17 --do--/----------------------	147000.00 220500.00 191100.00	47 47 47	------do----- ------do----- ------do------	Nil Nil Nil
Garbage Containers 10No.	HP Agro Industries, P.Sahib/034181/15.10.17	483800.00	51	------do------	Nil
Total		**1083146.00**			

(ख) स्टोर व् स्टॉक का भौतिक सत्यापन (Physical Verification) न करना

हि०प्र० नगरपालिका लेखा सहिंता के अध्याय 12 के पैरा 12.43 (सी) में प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में प्रभारी स्टोर, लेखा विभाग और कार्यकारी अधिकारी/सचिव नगरपालिका/नगर पंचायत या अधिकृत कर्मचारी स्टोर में पड़ी मदों का भौतिक सत्यापना करेंगे तथा इसका मिलान किताबी अभिलेख के अनुसार शेष से करेंगे और कोई अंतर पाए जाने की स्थिति में निदेशक द्वारा निर्धारित यथोचित सुधारात्मक कदम उठाएंगे। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि नगर परिषद द्वारा ऐसी कोई भी कार्यवाही अम्ल में नहीं लाई गयी थी जोकि वर्णित प्रावधानों की सरासर उलंघना है और ऐसे में मदों के दुर्विनियोजन की सम्भावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अतः वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए अब उक्त प्रावधानानुसार अपेक्षित कार्यवाही सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। इस सम्बन्ध में अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 42/2018 दिनांक 01.12.2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद से औचित्य स्पष्ट करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में पत्र संख्या: M.C.P/2018-19-1322 दिनांक 01.12.2018 द्वारा कार्यकारी अधिकारी ने सूचित किया कि अंकेक्षण आपत्ति को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र अम्ल में लाई जाएगी।

19. **लघु आपत्ति विवरणिका**:-सभी लघु आपत्तियों का स्थल पर ही निपटारा कर दिया गया था अतः यह विवरणिका अलग से जारी नहीं की गई थी।

20. **निष्कर्ष:**- लेखों में सुधार तथा सम्बन्धित अभिलेख को समय-2 पर अध्यतन (Updation) एवम पूर्ण करने व गत अंकेक्षण पैरों के निस्तारण हेतु तुरंत ठोस कार्यवाही करने की नितांत आवश्यकता है।

हस्ता/–

(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

पृष्ठांकन संख्याः V (42)/फिन (एल0ए0) खण्ड–4–3997–3998 दिनांक, 29.5.2019 शिमला–171009
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, शहरी विकास, हि0प्र0, शिमला–171002 को पैरा संख्या 1 (ख) वर्णित गम्भीर अनियमितताओं पर सम्बन्धित सचिव को आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

पंजीकृत 2 सचिव, नगर परिषद पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर एक माह के भीतर इस विभाग को भेजें।

हस्ता/–
(हेमराज भारद्वाज)
उप निदेशक,
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–171009.
0177–2620881

परिशिष्ट "क" पैरा 1 (ग) में सन्दर्भित

गत अंकेक्षणः– गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों की नवीनतम स्थिति निम्न प्रकार से थीः–

(क) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 7/62 से 12/64

1	पैरा–7	अनिर्णीत

(ख) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 1/65 से 1/69

1	पैरा–3	अनिर्णीत

(ग) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 3/69 से 11/70

1	पैरा–7	अनिर्णीत

(घ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 12/70 से 08/72

1	पैरा–3	अनिर्णीत
2	पैरा–4	अनिर्णीत

(ङ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 9/72 से 3/77

1	पैरा–9 (2)	अनिर्णीत
2	पैरा–15	अनिर्णीत
3	पैरा–16 (1)	अनिर्णीत
4	पैरा–17 व 19	अनिर्णीत
5	पैरा–19	अनिर्णीत

(च) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/77 से 3/82

1	पैरा–6 व 7	अनिर्णीत
2	पैरा–8 (ए)	अनिर्णीत
3	पैरा–8 (बी)	अनिर्णीत
4	पैरा–9 (ए)	अनिर्णीत
5	पैरा–9 (बी)	अनिर्णीत
6	पैरा–9 (डी)	अनिर्णीत
7	पैरा–10	अनिर्णीत
8	पैरा–23	अनिर्णीत
9	पैरा–41	अनिर्णीत
10	पैरा–42	अनिर्णीत
11	पैरा–47	अनिर्णीत

12	पैरा–48	अनिर्णीत
13	पैरा–53	अनिर्णीत
14	पैरा–56	अनिर्णीत
15	पैरा–62	अनिर्णीत
16	पैरा–65	अनिर्णीत
17	पैरा–66	अनिर्णीत
18	पैरा–69	अनिर्णीत
19	पैरा–73	अनिर्णीत
20	पैरा–74	अनिर्णीत
21	पैरा–77	अनिर्णीत
22	पैरा–78 (एफ)(1) (2)	अनिर्णीत
23	पैरा–80	अनिर्णीत
24	पैरा–83	अनिर्णीत
25	पैरा–92	अनिर्णीत
26	पैरा–93	अनिर्णीत
27	पैरा–94	अनिर्णीत
28	पैरा–95	अनिर्णीत
29	पैरा–97	अनिर्णीत

(छ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/82 से 3/84

1	पैरा–6 (ए)	अनिर्णीत
2	पैरा–16 (ए) (सी) (एल)	अनिर्णीत
3	पैरा–19 (2) से 19 (27) तक	अनिर्णीत
4	पैरा–21	अनिर्णीत

(ज) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/84 से 3/87

1	पैरा—5	अनिर्णीत
2	पैरा—6	अनिर्णीत
3	पैरा—7	अनिर्णीत
4	पैरा—9	अनिर्णीत
5	पैरा—10	अनिर्णीत
6	पैरा—11	अनिर्णीत
7	पैरा—13	अनिर्णीत
8	पैरा—14 (ए)	अनिर्णीत
9	पैरा—17	अनिर्णीत
10	पैरा—24	अनिर्णीत
11	पैरा—25	अनिर्णीत
12	पैरा—26 (10) (16) (22)	अनिर्णीत
13	पैरा—27 (1)(2)(4)(5)(8वीं)(8सी)	अनिर्णीत
14	पैरा—27 (10) से 27 (21) तक 27 (24) सें 27 (27) तक	अनिर्णीत
15	पैरा—31	अनिर्णीत

(झ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/87 से 3/89

1	पैरा—4 (ग)	अनिर्णीत
2	पैरा—19, 21	अनिर्णीत
3	पैरा—23 (1) (2)	अनिर्णीत

4	पैरा–24	आंशिक अनिर्णीत
5	पैरा–25 (2)	अनिर्णीत
6	पैरा–28	अनिर्णीत
7	पैरा–29	अनिर्णीत
8	पैरा–30	अनिर्णीत
9	पैरा–31	अनिर्णीत

(ञ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/89 से 3/91

1	पैरा–5 (क) (1)	आंशिक अनिर्णीत
2	पैरा–5 (घ)	अनिर्णीत
3	पैरा–5 (ङ)	अनिर्णीत
4	पैरा–6 (ग)	आंशिक अनिर्णीत
5	पैरा–6 (घ)	आंशिक अनिर्णीत
6	पैरा–6 (ङ)	अनिर्णीत
7	पैरा–7 (1) (20)(30)	अनिर्णीत
8	पैरा–8	अनिर्णीत
9	पैरा–9 (1) (2)	अनिर्णीत
10	पैरा–10	अनिर्णीत
11	पैरा–11 (घ) (1)	अनिर्णीत
12	पैरा–11 (छ) (1) व (2)	अनिर्णीत
13	पैरा–11 (ङ) (3)	अनिर्णीत
14	पैरा–11 (3) (ग)	अनिर्णीत

15	पैरा–14 (1)(2)(3)	अनिर्णीत
16	पैरा–14 (4) (वार्ड नं0 2 से 11)	अनिर्णीत
17	पैरा–17 (ख)	अनिर्णीत
	(1 से 4)	
18	पैरा–21 (ख)	अनिर्णीत
19	पैरा–22 (क, ख)	अनिर्णीत
20	पैरा–23	अनिर्णीत
21	पैरा–24 (क से च)	अनिर्णीत
22	पैरा–25 (1 से 9)	अनिर्णीत
23	पैरा–28 (क, ख) (1), 28 (ख) (2)	अनिर्णीत
24	पैरा–28 (ग), 29, 30	अनिर्णीत
25	पैरा–25 (11)	अनिर्णीत
26	पैरा–25 (13 से 19)	अनिर्णीत
27	पैरा–25 (21 से 30)	अनिर्णीत
28	पैरा–26	अनिर्णीत
29	पैरा–27 (क, ख)	अनिर्णीत
30	पैरा–33	अनिर्णीत
31	पैरा–34 (क)	अनिर्णीत
32	पैरा–34 (ख)	अनिर्णीत
33	पैरा–35 (2)	अनिर्णीत
34	पैरा–35 (3)	अनिर्णीत

(ट) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/91 से 3/99

1	पैरा–5	अनिर्णीत

2	पैरा–6 (ग)	अनिर्णीत
3	पैरा–7	अनिर्णीत
4	पैरा–10	अनिर्णीत
5	पैरा–13	अनिर्णीत
6	पैरा–16 (क)	अनिर्णीत
7	पैरा–17 (क, ख)	अनिर्णीत
8	पैरा–18	अनिर्णीत
9	पैरा–22 (क)	अनिर्णीत
10	पैरा–22 (ग) (xiv)	अनिर्णीत
11	पैरा–22 (ग) (xv)	अनिर्णीत
12	पैरा–22 (घ)	अनिर्णीत
13	पैरा–22 (ङ)	अनिर्णीत
14	पैरा–23	अनिर्णीत
15	पैरा–24 (क)(ग)	अनिर्णीत
16	पैरा–26 (क) (i)	अनिर्णीत
17	पैरा–27 (क, ख, ग, घ, ङ)	अनिर्णीत
18	पैरा–27 (ज) (झ)	अनिर्णीत
19	पैरा–28	अनिर्णीत
20	पैरा–29 (ग)	अनिर्णीत
21	पैरा–30	अनिर्णीत
22	पैरा–31 (च)	अनिर्णीत
23	पैरा–32 (ग)	अनिर्णीत
24	पैरा–34 (ग)	अनिर्णीत

25	पैरा–34 (ञ)	अनिर्णीत
26	पैरा–34 (ढ)	अनिर्णीत
27	पैरा–34 (ण)	अनिर्णीत
28	पैरा–34 (ख)	अनिर्णीत
29	पैरा–34 (ङ)	अनिर्णीत
30	पैरा–34 (च)	अनिर्णीत
31	पैरा–34 (छ)	अनिर्णीत

(ठ) अंकेक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/99 से 3/2007

1	पैरा–1	अनिर्णीत
2	पैरा–2	अनिर्णीत
3	पैरा–3	अनिर्णीत
4	पैरा–4 (ए) (1)	अनिर्णीत
5	पैरा–4 (बी)	अनिर्णीत
6	पैरा–4 (बी) (1)	अनिर्णीत
7	पैरा–4 (बी) (2)	अनिर्णीत
8	पैरा–4 (बी) (3)	अनिर्णीत
9	पैरा–4 (बी) (4)	अनिर्णीत
10	पैरा–4 (बी) (5)	अनिर्णीत
11	पैरा–4 (सी) (1)	अनिर्णीत
12	पैरा–4 (सी) (2)	अनिर्णीत
13	पैरा–4 (सी) (3)	अनिर्णीत
14	पैरा–4 (सी) (4)	अनिर्णीत
15	पैरा–4 (सी) (5)	अनिर्णीत
16	पैरा–4 (सी)(7)(1)	अनिर्णीत

17	पैरा–4 (सी)(8)(1)	अनिर्णीत
18	पैरा–4 (सी) (9)	अनिर्णीत
19	पैरा–4 (सी) (10)	अनिर्णीत
20	पैरा–4 (डी)	अनिर्णीत
21	पैरा–4 (ई)	अनिर्णीत
22	पैरा–4 (ई) (1)	अनिर्णीत
23	पैरा–4 (ई) (2)	अनिर्णीत
24	पैरा–4 (ई) (3)	अनिर्णीत
25	पैरा–4 (ई) (4)	अनिर्णीत
26	पैरा–4 (एफ) (1)	अनिर्णीत
27	पैरा–4 (एफ) (2)	अनिर्णीत
28	पैरा–4 (एफ) (3)	अनिर्णीत
29	पैरा–4 (एफ) (4)	अनिर्णीत
30	पैरा–4 (एफ) (5)	अनिर्णीत
31	पैरा–4 (एफ) (6)	अनिर्णीत
32	पैरा–4 (एफ) (7)	अनिर्णीत
33	पैरा–4 (एफ) (8)	अनिर्णीत
34	पैरा–4 (एफ) (9)	अनिर्णीत
35	पैरा–6 (2)	अनिर्णीत
36	पैरा–6 (3)	अनिर्णीत
37	पैरा–6 (4)	अनिर्णीत
38	पैरा–6 (5)	अनिर्णीत
39	पैरा–6 (6)	अनिर्णीत
40	पैरा–6 (7)	अनिर्णीत

41	पैरा–6 (8)	अनिर्णीत
42	पैरा–6 (9)	अनिर्णीत
43	पैरा–6 (10)	अनिर्णीत
44	पैरा–7 (1)	अनिर्णीत
45	पैरा–7 (2)	अनिर्णीत
46	पैरा–7 (3)(1)	अनिर्णीत
47	पैरा–7 (3)(2)	अनिर्णीत
48	पैरा–7 (3)(3)	अनिर्णीत
49	पैरा–7 (3)(4)	अनिर्णीत
50	पैरा–7 (3)(5)	अनिर्णीत
51	पैरा–7 (3)(6)	अनिर्णीत
52	पैरा–7 (3)(7)	अनिर्णीत
53	पैरा–7 (3)(8)	अनिर्णीत
54	पैरा–7 (3)(9)	अनिर्णीत
55	पैरा–7 (3)(10)	अनिर्णीत
56	पैरा–8 (1)	अनिर्णीत
57	पैरा–8.2 (1)	अनिर्णीत
58	पैरा–8.2 (2)	अनिर्णीत
59	पैरा–8.2 (3)	अनिर्णीत
60	पैरा–9 (1)	अनिर्णीत
61	पैरा–10	अनिर्णीत

(ड) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/2007 से 3/2010

1	पैरा–5 (क) से (ग)	अनिर्णीत

2	पैरा–7 (क) से (ड)	अनिर्णीत
3	पैरा–7 (ण) से (द)	अनिर्णीत
4	पैरा–8 (क) से (ग)	अनिर्णीत
5	पैरा–8 (ड०)	निर्णीत (पैरे अनुसार अपेक्षित कार्यवाही करने के उपरान्त)
6	पैरा–8 (च) से (छ)	अनिर्णीत
7	पैरा–8 (ञ) से (ट)	अनिर्णीत
8	पैरा–9 (क) से (ठ)	अनिर्णीत
9	पैरा–9 (ढ) से (द)	अनिर्णीत
10	पैरा–10 (क) से (च)	अनिर्णीत
11	पैरा–11 (क) से (ड०)	अनिर्णीत
12	पैरा–12 (क) से (घ)	अनिर्णीत
13	पैरा–13 (क) से (छ)	अनिर्णीत
14	पैरा–14 (क) से (ग)	अनिर्णीत

(ढ) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/10 से 3/12

1	पैरा–5.1	अनिर्णीत
2	पैरा–6	अनिर्णीत
3	पैरा–7.3	अनिर्णीत
4	पैरा–7.4	अनिर्णीत
5	पैरा–7.5	अनिर्णीत
6	पैरा–7.8	अनिर्णीत
7	पैरा–7.13	अनिर्णीत
8	पैरा–7.14	अनिर्णीत
9	पैरा–7.16	अनिर्णीत
10	पैरा–8	अनिर्णीत
11	पैरा–8.1	अनिर्णीत
12	पैरा–10	अनिर्णीत

13	पैरा–10.1	अनिर्णीत
14	पैरा–10.3	अनिर्णीत
15	पैरा–10.4	अनिर्णीत
16	पैरा–10.4.1	अनिर्णीत
17	पैरा–10.5	अनिर्णीत
18	पैरा–11	अनिर्णीत
19	पैरा–11.1	अनिर्णीत
20	पैरा–11.1.1	अनिर्णीत
21	पैरा–11.2	अनिर्णीत
22	पैरा–11.4	अनिर्णीत
23	पैरा–11.5	अनिर्णीत
24	पैरा–12	अनिर्णीत
25	पैरा–12.1	अनिर्णीत
26	पैरा–12.2	अनिर्णीत
27	पैरा–12.3	अनिर्णीत
28	पैरा–13.1	अनिर्णीत
29	पैरा–13.2	अनिर्णीत
30	पैरा–14	अनिर्णीत

(ण) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/12 से 3/14

1	पैरा–6(2)	अनिर्णीत
2	पैरा–6(3)	अनिर्णीत
3	पैरा–6(4)	अनिर्णीत
4	पैरा–7(i)	अनिर्णीत
5	पैरा–7(ii)	अनिर्णीत
6	पैरा–8	अनिर्णीत
7	पैरा–10(1)(ii)	अनिर्णीत
8	पैरा–11	अनिर्णीत
9	पैरा–12	अनिर्णीत

10	पैरा-14	अनिर्णीत
11	पैरा-15	अनिर्णीत
12	पैरा-16	अनिर्णीत
13	पैरा-17	अनिर्णीत
14	पैरा-18	अनिर्णीत
15	पैरा-19(1)	अनिर्णीत
16	पैरा-19(4)	अनिर्णीत
17	पैरा-19(5)	अनिर्णीत
18	पैरा-19(6)	अनिर्णीत
19	पैरा-19(7)	अनिर्णीत
20	पैरा-19(9)(ii)	अनिर्णीत
21	19(9)(iii)	अनिर्णीत
22	पैरा-19(9)(iv)	अनिर्णीत
23	पैरा-20	अनिर्णीत
24	पैरा-21	अनिर्णीत
25	पैरा-22	अनिर्णीत
26	पैरा-23	अनिर्णीत
27	पैरा-24	अनिर्णीत
28	पैरा-27	अनिर्णीत
29	पैरा-28(i)	अनिर्णीत
30	पैरा-28(ii)	अनिर्णीत
31	पैरा-29	अनिर्णीत
32	पैरा-30	अनिर्णीत
33	पैरा-31	अनिर्णीत
34	पैरा-32	अनिर्णीत
35	पैरा-34	अनिर्णीत
36	पैरा-35(क)	अनिर्णीत
37	पैरा-35(ख)	अनिर्णीत

38	पैरा–36	अनिर्णीत	
39	पैरा–37	अनिर्णीत	
40	पैरा–38(क)	अनिर्णीत	
41	पैरा–38(ख)	अनिर्णीत	
42	पैरा–39	अनिर्णीत	
43	पैरा–40	अनिर्णीत	
44	पैरा–42(i)	अनिर्णीत	
45	पैरा–42(ii)	अनिर्णीत	
46	पैरा–42(iii)	अनिर्णीत	
47	पैरा–42(iv)	अनिर्णीत	
48	पैरा–42(v)	अनिर्णीत	
49	पैरा–43(क)	अनिर्णीत	
50	पैरा–43(ख)	अनिर्णीत	
51	पैरा–43(ग)	अनिर्णीत	
52	पैरा–44	अनिर्णीत	
53	पैरा–45	अनिर्णीत	
54	पैरा–46(i)से(iii)	अनिर्णीत	
55	पैरा–47	अनिर्णीत	
56	पैरा–48(i)(1से 5)	अनिर्णीत	
57	पैरा–48(ii)(1से 5)	अनिर्णीत	
58	पैरा–49	अनिर्णीत	
59	पैरा–50	अनिर्णीत	

(य) अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 4/14 से 3/16

1	पैरा–3	निर्णीत	(अंकेक्षण शुल्क की राशि को जमा करवाए जाने के उपरान्त)
2	पैरा–4	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन/प्रारूपण करने पर

			निर्णीत / समाप्त)
3	पैरा—5 (1)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन / प्रारूपण करने पर निर्णीत / समाप्त)
4	पैरा—5 (2)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन / प्रारूपण करने पर निर्णीत / समाप्त)
5	पैरा—5 (3)	अनिर्णीत	
6	पैरा—5 (4)	निर्णीत	(वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन में नवीनतम स्थिति के अद्यतन / प्रारूपण करने पर निर्णीत / समाप्त)
7	पैरा—5 (5)	निर्णीत	(अपेक्षित कार्यवाही के उपरान्त)
8	पैरा—6 (1)	अनिर्णीत	
9	पैरा—6 (2)	अनिर्णीत	
10	पैरा—6 (3)	अनिर्णीत	
11	पैरा—6 (4)	अनिर्णीत	
12	पैरा—6 (5)	निर्णीत	(अंकेक्षण को प्रस्तुत उत्तर के आधार पर)
13	पैरा—7	अनिर्णीत	
14	पैरा—8 (1)	अनिर्णीत	
15	पैरा—8 (2)	अनिर्णीत	
16	पैरा—8 (3) (क)	अनिर्णीत	
17	पैरा—8 (3) (ख)	अनिर्णीत	
18	पैरा—8 (4)	अनिर्णीत	
19	पैरा—8 (5)	अनिर्णीत	
20	पैरा—8 (6)	अनिर्णीत	
21	पैरा—8 (7) (क)	अनिर्णीत	
22	पैरा—8 (7) (ख)	अनिर्णीत	
23	पैरा—8 (7) (ग)	अनिर्णीत	

24	पैरा—8 (8)	अनिर्णीत
25	पैरा—8 (9)	अनिर्णीत
26	पैरा—8 (10)	अनिर्णीत
17	पैरा—8 (11)	अनिर्णीत
28	पैरा—8 (12)	अनिर्णीत
29	पैरा—8 (13)	अनिर्णीत
30	पैरा—9	अनिर्णीत
31	पैरा—10 (क)	अनिर्णीत
32	पैरा—10 (ख)	अनिर्णीत
32	पैरा—11	अनिर्णीत
33	पैरा—12	अनिर्णीत
34	पैरा—13	अनिर्णीत
35	पैरा—14	अनिर्णीत
36	पैरा—15	अनिर्णीत
37	पैरा—16	अनिर्णीत
38	पैरा—17	अनिर्णीत
39	पैरा—18	अनिर्णीत
40	पैरा—19	अनिर्णीत
41	पैरा—20	अनिर्णीत
42	पैरा—21	अनिर्णीत
43	पैरा—22 (1) (क)	अनिर्णीत
44	पैरा—22 (1) (ख)	अनिर्णीत
45	पैरा—22 (1) (ग)	अनिर्णीत
46	पैरा—23 (1) (क)	अनिर्णीत
47	पैरा—23 (2)	अनिर्णीत
48	पैरा—24 (1) (क)	अनिर्णीत
49	पैरा—24 (1) (ख)	अनिर्णीत

50	पैरा–24 (1) (ग)	अनिर्णीत
51	पैरा–24 (2)	अनिर्णीत
52	पैरा–25 (1)	अनिर्णीत
53	पैरा–25 (2)	अनिर्णीत
54	पैरा–25 (3)	अनिर्णीत
55	पैरा–26 (1) (क)	अनिर्णीत
56	पैरा–26 (1) (ख)	अनिर्णीत
57	पैरा–26 (2) (i)	अनिर्णीत
58	पैरा–26 (2) (ii)	अनिर्णीत
59	पैरा–27 (1) (क)	अनिर्णीत
60	पैरा–27 (1) (ख)	अनिर्णीत
61	पैरा–28 (1)	अनिर्णीत
62	पैरा–29 (1)	अनिर्णीत
63	पैरा–30 (1)	अनिर्णीत
64	पैरा–30 (2)	अनिर्णीत
65	पैरा–31 (1)	अनिर्णीत
66	पैरा–32 (1)	अनिर्णीत
67	पैरा–33 (1)	अनिर्णीत
68	पैरा–34 (1)	अनिर्णीत
69	पैरा–34 (2)	अनिर्णीत
70	पैरा–35 (1)	अनिर्णीत
71	पैरा–35 (2)	अनिर्णीत
72	पैरा–36 (1)	अनिर्णीत
73	पैरा–37	अनिर्णीत
74	पैरा–38	अनिर्णीत
75	पैरा–39	अनिर्णीत
76	पैरा–40	अनिर्णीत

77	पैरा—41	अनिर्णीत
78	पैरा—42	अनिर्णीत
79	पैरा—43	अनिर्णीत
80	पैरा—44	अनिर्णीत
81	पैरा—45	अनिर्णीत
82	पैरा—46	अनिर्णीत
83	पैरा—47	अनिर्णीत
84	पैरा—48 (i)	अनिर्णीत
85	पैरा—48 (ii)	अनिर्णीत
86	पैरा—48 (iii)	अनिर्णीत
87	पैरा—48 (iv)	अनिर्णीत
88	पैरा—48 (v)	अनिर्णीत
89	पैरा—49 (1)	अनिर्णीत
90	पैरा—49 (2)	अनिर्णीत
91	पैरा—50 (1)	अनिर्णीत
92	पैरा—50 (2)	अनिर्णीत
93	पैरा—50 (3)	अनिर्णीत
94	पैरा—50 (4) (क)	अनिर्णीत
95	पैरा—50 (4) (ख)	अनिर्णीत
96	पैरा—50 (4) (ग)	अनिर्णीत
97	पैरा—50 (4) (घ)	अनिर्णीत

दिनांक 1.4.16 को गत अनिर्णीत पैरों की शेष	390
वर्तमान अंकेक्षण में प्रारूपित पैरे की सं0	16
वर्तमान अंकेक्षण में निर्णीत किए गए पैरों की सं0	8
दिनांक 31.3.18 तक अनिर्णीत पैरों की सं0	398